प्रकाशन का 42 वां वर्ष

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

ई – पेपर

www.facebook.com/shailshamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 43 अंक – 40 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पंजीकरण एच. पी./93/एस एम एल Valid upto 31-12-2020 सोमवार 01 – 08 अक्तूबर 2018 मूल्य पांच रूपए

एसजेवीएनएल बनाम राजेन्द्र सिंह मामले में आये फैसले की अनुपालना जय राम की होगी कड़ी परीक्षा

❖ शैल के आरोपों की प्रमाणिकता पर शीर्ष अदालत ने लगाई मोहर

शिमला/शैल। राजकुमार राजेन्द्र सिंह मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने शैल के आरोपों पर लगायी मोहर तीन माह में अनुपालना रिपोर्ट सौंपनी होगी

सर्वोच्च न्यायालय जस्टिस अरूण मिश्रा और जस्टिस एस अब्दुल नजीर पर आधारित पीठ ने सतलुज जल विद्युत निगम बनाम (स्व.) राजकुमार, राजेन्द्र सिंह मामले में निर्देश दिये हैं कि उनको मिला मुआवजा 12% ब्याज सहित तीन माह मे वापिस लिया जाये और फैसले की अनुपालना रिपोर्ट अदालत में सौंपी जाये। शीर्ष अदालत ने इस मामले में स्व. राजेन्द्र सिंह और उनके उत्तराधिकारियों के आचरण को फाड की संज्ञा दी है। अदालत ने स्पष्ट कहा है कि Learned counsel on behalf of the respondent has referred to the decision rendered in Madan Kishore v. Major Sudhir Sewal, (2008) 8 SCC 744, wherein question arose with respect to entitlement of subtenant to apply under Section 27(4). It was held that the expression in Section 27(4), such tenant who cultivates such land, does not entitle a sub-tenant either to claim proprietary rights or apply for the same under Section 27(4). It was held that he was not a sub-tenant. The decision is of no help to the cause espoused on behalf of LRs. of Rajinder Singh.

In the peculiar facts projected in the case the principle fraud vitiates is clearly applicable it cannot be ignored and overlooked under the guise of the scope of proceedings under Section 18/30 of the LA Act.

Resultantly, we allow the appeals and direct that the compensation that has been withdrawn by Late Rajinder Singh or his LRs. in the case of land acquisition, in original proceedings or under section 28-A shall be refunded along with interest at the rate of 12 percent per annum within 3 months from today to the appellants/State, as the case may be, and compliance be reported to this Court. The appeals are accordingly allowed. We leave the parties to bear their own costs.

शीर्ष अदालत के सामने यह सवाल था कि The question involved is whether after the abolition of Jagirs by virtue of the Himachal Pradesh Abolition of Big Landed Estates and Land Reforms Act, 1953 (hereinafter referred to as 'the Abolition Act'), the late Jagirdar or his legal representatives could have claimed the compensation on the land acquisition being made particularly when land has vested in the State of Himachal Pradesh, the land was not under the personal cultivation, and particularly when they have received the compensation under the Abolition Act, apart from that had also received the compensation under the provisions of H.P. Ceiling on Land Holdings Act, 1972 (hereinafter referred to as "the Ceiling Act").

The facts project how a litigant has filed a slew of litigations one after the other and faced with a situation that it was likely to be dismissed, he would withdraw it; again, file it on new grounds, or having lost it, would withdraw it again at appellate stage, and in the meantime, in different proceedings by playing fraud, getting unjust enrichment by receiving compensation at the expense of public exchequer.

स्मरणीय है कि जब 31 अक्तूबर 1997 को वीरभद्र सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा रूख अपनाते हुए एक रिवार्ड स्कीम अधिसूचित की थी तब शैल के संपादक बलदेव शर्मा ने राजेन्द्र सिंह प्रकरण में 21 नवम्बर 1997 को इसी स्कीम के तहत एक शिकायत सौंपी थी। लेकिन '' हाथी के दांत खाने के और तथा दिखाने के और'' की कहावत को चरितार्थ करते हुए किसी भी सरकार ने इस शिकायत पर जांच करने का जोखिम नही उठाया। जबकि इस शिकायत के बाद अब तक प्रदेश में दो बार भाजपा और दो ही बार कांग्रेस की सरकारें रह चुकी हैं। अब जयराम सरकार सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की अनुपालना में कितना क्या कदम उठाती है। इसका खुलासा भी आने वाले दिनों में हो जायेगा। यह स्कीम आज भी यथा स्थिति लागू है। क्योंकि इसे वापिस लेने का दम भी किसी सरकार में नही है। आज भी इस स्कीम के तहत आयी कई शिकायते विजिलैन्स के पास वर्षो से लंबित पड़ी हुई है।

यहां यह भी गौरतलब है कि जब सरकार ने इस शिकायत पर कोई कारवाई नही की थी तब इस मामले को प्रदेश उच्च न्यायालय में भी उठाया गया था और उच्च न्यायालय ने इसकी तवरित जांच करने के निर्देश दिये थे जिनकी कभी अनुपालना नही हुई । इसमें प्रदेश सरकार का आचरण भी वैसा ही रहा है जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय की नज़र में राजेन्द्र सिंह का रहा है। क्योंकि इसमें एक अन्य मामले के संद्धर्भ में एफसी अपील ने 98 बीघे जमीन सरप्लस घोषित की थी। लेकिन व्यवहारिक तौर पर यह ज़मीन सरकार में विहित हो गयी है या नहीं संवद्ध अधिकारी इस पर कुछ भी कहने को तैयार नहीं है।

अब जो सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया है उसकी अनुपालना न करने का सरकार के पास कोई विकल्प नही है लेकिन सरकार के लिए इसकी अनुपालना के साथ ही एक महत्वपूर्ण सवाल यह रहेगा कि वह तन्त्र के उन लोगों के खिलाफ क्या कारवाई करेगी जिन्होने यह सब होने दिया। जबकि 1997-98 में सरकार के पास यह शिकायत आ गयी थी यदि उसी समय इसपर जांच करवा दी जाती तो सारी वस्तुस्थिति ही कुछ और होती । स्मरणीय है कि यह मामला 1953 में आये Big landed Estate Abolition Act और फिर 1972 में आये सीलिंग एक्ट की अनुपालना सही से न कर पाने के कारण घटा है। प्रदेश का यही राजपरिवार अकेला बड़े जिम्मीदारों की परिभाषा में नही आता है बल्कि दर्जनों और परिवार ऐसे रहे हैं जिन्हे प्रिवि पर्स मिलता था। आज

शेष पृष्ठ 8 पर.....

यह थी रिवार्ड स्कीम के तहत 1997 में शैल की शिकायत

The Hon'ble Chief Minister,
Himachal Pradesh,
Shimla-171002
Dated: Shimla-2, the 21 Nov 1997.

Subject:- Information of corruption and wrongful loss thereof to the state exchequer in the matter of land scandal of late Raj Kumar Rajinder Singh of Rampur Bushahar in connivance with former Chief Minister Shri. Virbhadra Singh and other Government functionaries under the Reward Scheme of the Government issued vide letter No. PER(vig) F (2) 1/97, dated 31.10.1997.

Sir,

This is to supply information on the subject cited above to the Government and the details of the offences and wrongful loss is as follows:-

(i) The H.P Abolition of Big landed Estated Act. was enacted in the year 1953.

(ii) Under Section 27 of the Act land which was either not under self cultivation or whose annual land revenue exceeded Rs.125/- was to vest automatically with the state Government from the appointed date i.e., 26.01.1955.

(iii) The compensation of the land so vested was to be determined by the compensation officer.

(iv) The land of late Raj Kumar Rajinder Singh vested in the Government w.e.f. 26.01.1955 and the compensation of the land was determind by the compensation officer in the year 1966.

(v) The Hon'ble supreme court in civil appeals No.1186 to 1191 of 1966 announced on 17.9.1969 held that the vesting of the land took place from the enforcement of the act i.e. 26.01.1955.

(vi) The state Government in it's affidavit had stated that the said land had vested in the state Government meaning thereby that the Revenue entries had been changes to this effect by the revenue authorities.

(vii) The H.P High court in it's judgement dated 26.6.1973 dismissed the civil suit filed by the Raj Kumar and the decision of the Government was held valid. This judgement has become final .

(viii) The Raj Kumar has in his civil Suit No. 253/1995 in H.P. High Court has admitted in Para-5 that his land had vested in the Government in 1955.

शेष पृष्ठ 8 पर.....

समाज में परिवर्तन लाने के लिए रचनात्मक विचार आवश्यकः राज्यपाल

शिमला/शैल। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा कि रचनात्मक व सकारात्मक सोच समाज में बड़े स्तर पर बदलाव ला सकती है और इस दिशा में जिम्मेवार लोगों के प्रयास महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। वह एचपी नेट शिमला के कारागार एवं सुधारक सेवाएं द्वारा हिरासत में महिलाओं और न्याय तक पहुंच पर आयोजित दो दिवसीय कार्यशाला को सम्बोधित कर रहे थे।

राज्यपाल ने कहा कि हमें समाज को शान्ति, समृद्धि व विकास के रास्ते पर आगे ले जाने के लिए अपने विचारों में बदलाव लाना होगा। उन्होंने कहा कि इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण है जहां एक व्यक्ति समाज में बदलाव और प्रेरणा का स्त्रोत बना और हमें ऐसे महान व्यक्ति के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए।

आचार्य देवव्रत ने कहा कि यदि व्यक्ति अपने प्रयासों के प्रति ईमानदार है तो वह अपने उद्देश्य को अवश्य पूरा कर सकता है। उन्होंने कहा कि कैदियों को सकारात्मक सोच का जीवन जीने के लिए मार्गदर्शन की आवश्यकता है ताकि वे अपने जीवन में गलत काम करने की विचारधारा से बाहर आकर सामान्य जीवन व्यतीत कर सके।

राज्यपाल ने इस दिशा में कारागार विभाग और विशेषकर कारागार एवं सुधारक सेवाएं विभाग के महानिदेशक सोमेश गोयल के प्रयासों सराहना की, जिन्होंने कैदियों के लिए शिक्षात्मक परियोजनाओं की पहल की है और उनके माध्यम से प्राकृतिक खेती करवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कंडा जेल के कैदियों ने अपने आपको प्राकृतिक खेती से जोड़कर दूसरों को उदाहरण प्रस्तुत किया है। उन्होंने विश्वास जताया कि ऐसी गतिविधियां निश्चित तौर पर कैदियों के जीवन में बदलाव लाएंगी। उन्होंने कार्यशाला के आयोजन के लिए आयोजकों को बधाई दी और विश्वास जताया कि सेमीनार के सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे।

उन्होंने इस अवसर पर एक लघु फिल्म 'बिहाइण्ड द बार्ज' का भी शुभारम्भ किया और फिल्म की निदेशक डॉ. देवकन्या ठाकुर को सम्मानित किया।

मुख्य सचिव बी.के. अग्रवाल ने विभाग को इस प्रकार के संवेदनशील विषय पर कार्यशाला आयोजित करने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि संविधान में कैदियों को समान अधिकार प्रदान किए गए हैं और उन्हें इन अधिकारों से वंचित नही रखा जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कैदियों को स्वास्थ्य और शिक्षा इत्यादि की सुविधाएं प्रदान कर रही है ताकि वे सुधार की दिशा में आगे बढ़ सके। उन्होंने कैदियों से सकारात्मक व्यवहार के लिए अधिकारियों तथा कर्मचारियों के प्रशिक्षण पर बल दिया।

महानिदेशक बी.पी.आर. एवं डी. ए.पी महेश्वरी ने कहा कि विभिन्न कारणों व परिस्थितियों के कारण चार लाख लोग कारागार में हैं और हमें उनके साथ नागरिक समुदाय की तरह पेश आना चाहिए। हमें अपने सीमित विचारों से बाहर निकलना चाहिए और कैदियों से घृणा नही करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्हें और अधिक सुविधाएं प्रदान करने के अलावा कौशल सृजन कार्यक्रम शुरू करने चाहिए जिससे उनका मनोबल बढ़ेगा।

सोमेश गोयल ने इस अवसर पर कैदियों के लिए कार्यान्वित किए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों व योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कैदियों को समाज की मुख्यधारा में शामिल करने के उद्देश्य से कैदियों द्वारा तैयार किए गए उत्पादों की बिक्री इत्यादि जैसी अनेक गतिविधियां करवाई जा रही हैं।

देशभर से कारागार विभाग के वरिष्ठ अधिकारी तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति इस अवसर पर उपस्थित थे।

हिमालयी राज्यों के मामलों को सुलझाने के लिए बनाये अलग मंत्रालय :राज्यपाल

शिमला/शैल। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने हिमालयी राज्यों के सम्मेलन में बतौर मुख्यातिथि सम्बोधित करते हुए सुझाव दिया कि केन्द्र में हिमालयी राज्यों के एक समान मामलों

को सुलझाने के लिए अलग मंत्रालय गठित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हिमालयी क्षेत्रों के मामले व चुनौतियां मैदानी क्षेत्रों से पूरी तरह भिन्न हैं। उन्होंने कहा कि पहली बार इस गम्भीर विषय पर चिन्तन व समाधान की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके लिए केन्द्रीय कृषि मंत्री बधाई के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि आज हम वैश्विक ऊष्मीकरण पर चर्चा करते हैं, जबकि इसका मुख्य कारण रासायनिक खेती है। उन्होंने इस बात पर चिन्ता व्यक्त की कि विभिन्न विभागों व संस्थानों द्वारा रासायनिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है, हालांकि वे इस तथ्य से परिचित हैं कि कम्पनियों द्वारा तैयार किए जा रहे रासायनिक उत्पाद प्रदूषण व वैश्विक ऊष्मीकरण के लिए जिम्मेदार हैं।

राज्यपाल ने कहा कि उनका अपना अनुभव रहा है कि केवल प्राकृतिक खेती ही अनुकूल है और हरियाणा स्थित गुरूकुल के खेतों से प्राप्त वैज्ञानिक आंकड़ों से इसकी पुष्टि हुई है। यहां की भूमि का जैविक कार्बन में .3 से .9 की वृद्धि हुई है और यह प्राकृतिक खेती से सम्भव हो सका है।

निवेशक राज्य के प्राकृतिक उत्पादों को उच्च दरों पर खरीदने को तैयारःराज्यपाल

शिमला/शैल। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा कि देश के प्रमुख कृषि निवेशक राज्य के समूचे प्राकृतिक उत्पादों को डेढ़ गुणा अधिक मूल्य पर खरीदने को तैयार हैं। उन्हांने कहा कि जिस गति से हम आगे बढ़ रहे हैं, शीघ्र ही प्राकृतिक खेती राज्य के रूप में उभर कर सामने आएंगे। राज्यपाल कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में कृषि विभाग द्वारा आयोजित छः दिवसीय कृषक प्रशिक्षण शिविर में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि शून्य लागत प्राकृतिक परियोजना के अन्तर्गत व्यवस्था की गई है कि जो किसान प्राकृतिक खेती को प्रदशित करेगा उसे मास्टर प्रशिक्षक बनाया जाएगा और इससे दूसरे किसान भी प्रोत्साहित होंगे। उन्होंने कहा कि किसानों को राज्य सरकार के माध्यम से रियायती मूल्य पर भारतीय नस्ल की गाय प्रदान की जाएंगी जिसके लिए निजी उद्यमियों ने लागत को 50 प्रतिशत वहन करने की इच्छा जताई है। किसानों को गायों को उपलब्धता भी सुनिश्चित की जाएगी। राज्यपाल ने शून्य लागत प्राकृतिक खेती की धारणा को विकसित करने में पदमश्री सुभाष पालेकर के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि वह वर्तमान समय के सन्त है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन किसान समुदाय के लिए समर्पित कर दिया और अपने अनुसंधान के माध्यम से उन्होंने समूचे विश्व की सहायता की। उन्होंने कहा कि केवल उन्ही की ही प्रेरणा से उन्होंने स्वयं खेती के इस तरीके को अपनाया। उन्होंने कहा कि हिमाचल की कृषि भूमि अन्य प्रदेशों से अधिक उपजाऊ है तथा प्राकृतिक खेती के तहत 'जीवामृत' और 'गांजीवामृत' का उपयोग कर ज़मीन सोना उगलेगी।

आचार्य देवव्रत ने कहा कि किसानों को रासायनिक खेती में कोई रूचि नही है, क्योंकि यह ज़हरीली है और वे जैविक खेती को भी नही अपना रहे है, क्योंकि यह महंगी होने के साथ-साथ भरोसेमंद भी नही है। अब प्राकृतिक खेती एकमात्र विकल्प है, क्योंकि इसमें किसानों को एक भी पैसा खर्च नही करना पड़ता और अनेक लाभ हैं। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था को अपनाकर हम राष्ट्रीय हित में मानवता से जुड़ा बड़ा कार्य कर सकते हैं।

उन्होंने प्राकृतिक खेती पर विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों के तथ्यों तथा परिणामों के आधार पर प्राकृतिक खेती के विभिन्न लाभों का विवरण दिया। उन्होंने वैज्ञानिकों से प्राकृतिक खेती पर अनुसंधान तथा इसका परिणाम देने का आग्रह किया ताकि सच्चाई प्रत्येक के समक्ष आ सके।

HIMACHAL PRADESH PUBLIC WORKS DEPARTMENT
NOTICE INVITING TENDER

Sealed item rate tenders on form No. 6&8 are hereby invited by the Executive Engineer, Shimla Division No. III, HP.PWD. Shimla-3 on behalf of the Governor of H.P. for the following works from the eligible Contractors/ Firms enlisted in HP.PWD, so as to reach in his office on or before 3-11-2018 up to 10.30 A.M. and will be opened on the same day at 11.00 A.M. in the presence of the intending Contractors/Firms or their authorized representatives. The tender form can be had from his office against cash payment (non-refundable) on any working day up to 4.00 P.M. on 2-11-2018 and the application for issue of tender form shall be received up to 4.00 P.M. on 1-11-2018.

The earnest money in the shape of National saving Certificate/Time deposit account/saving account in any of the post office in HP, duly pledged in favour of Executive Engineer, Shimla Division No-III must accompany with the application form for the tender offer. Conditional tender and the tender received without earnest money will summarily be rejected. The Executive Engineer reserves the right to reject the tender without assigning any reason there to. Other conditions are applicable as perform No. 6&8. The offer shall remain open for 90 days.

Sr.No. Name of Work	Estimated Cost	Earnest Money	Time	From no	Cost of Form
1. S/R to block No.17 Set No.7-8,10-11 & 12-13 at U.S.Club Shimla(SH:- Repair of wooden verandah, railing, drain P/F welded mesh etc.).	Rs.1,14,302/-	Rs.2,300/	One Month	6&8	350/-
2. S/R to block-A type-II Set No.1 to 6 at Richmound Shimla.(SH:- P/L chequired tiles on yard and P/F PVC water storage tank and fencing for water storage tank etc.).	Rs.1,26,408/-	Rs.2,530/-	One Month	6&8	350/-
3. S/R to C-II building at Benmore Shimla residence of State Bureau Divya Himachal.(SH:-P/F pine wood ceiling, paneling and Cupboard etc.).	Rs.3,25,738/-	Rs.6,500/-	One Month	6&8	350/-
4. S/R to Benmore-5 at Shimla.(SH:- P/F shuttering ply and PVC flooring in 1st floor Benmore-5 Shimla).	Rs.1,52,495/-	Rs.3,050/-	One Month	6&8	350/-
5. Furnishing of B-4 at Benmore Shimla.(SH:- Supplying and Fixing woolen Carpet and Re-Stuffing od Diwan in B-4 etc. at Benmore Shimla).	Rs.2,90,730/-	Rs.5,850/-	One Month	6&8	350/-
6. A/R & M/O Nurses and Girls Hostel at IGMC Shimla(SH:- Painting and Distempering in Block-A).	Rs.3,29,525/-	Rs.6,600/-	One Month	6&8	350/-
7. R/R damages to various foot path/roads under IGMC Shimla.(SH:_ Removal of slips and C/O R/Wall B/Wall behind toilet block IGMC Shimla.).	Rs.3,32,894/-	Rs.6,660/-	One Month	6&8	350/-
8. S/R to pediatrics Surgical ICU in forth floor adjacent to General pediatric ward at IGMC Shimla (SH:- Convertion Old ward into pediatrics Surgical ICU).	Rs. 3,54,030/-	Rs. 7,090/-	One Month	6&8	350/-

Terms & Conditions:-
1. The contractor/firm shall have his GST No. and attested copy of the same be attached with the application for issue of tender form.
2. The contractor/firm should attach attested copy of registration/renewal.
3. Copy of PAN card be attached with the application form

Adv. No.2663/18-19 HIM SUCHANA AVAM JAN SAMPARK

शैल समाचार संपादक मण्डल

संपादक - बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक - जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार - ऋचा
अन्य सहयोगी
भारती शर्मा
मिनाक्षी शर्मा
रजनीश शर्मा
राजेश ठाकुर
सुदर्शन अवस्थी
सुरेन्द्र ठाकुर
रीना

HIMACHAL PRADESHPUBLIC WORKS DEPARTMENT
NOTICE INVITING TENDER

Sealed item rate tender on the prescribed form, terms and conditions mentioned in form-6&8 are hereby invited for the following works by the Executive Engineer, Electrical Division No.II HPPWD shimla-2 from the firms/contractors enlisted with PWD(Electrical), so as to reach in the office of the XEN(1)Tender documents consisting of plans classes of work to be done and set of terms and conditions of contract to be complied with by the contractor/firms whose tender may be accepted and other necessary documents can be seen in the office of the XEN between hours of 11.00 AM to 4.00 PM except on Sundays and public holidays. (2) The firm /contractor who are not registered under H.P.General Sale tax Act,1968 and have not cleared all the dues on account of sale tax shall not be issued the tender documents(3) The contractor who has no registration certificate with Excise and taxation department of HP will not be issued the tender documents (4) Tenders placed in sealed envelope with name of work and due date written on the envelope will be received by the XEN and will be opened by him or his authorized representative in his office in the presence of contractors, present if any. (5)The earnest money in the shape of NSC/Time deposit account / saving account in any of the post offices of HP duly pledged in favour of XEN must accompany with the tender in the separate envelope.The tenders without earnest money will summarily be rejected. (6)) In case of holiday, the tenders shall be sold/received and opened on the next working day.(7)Tenders of contractors who quote two or more than two rates for any item of work shall be rejected. (8) The competent authority on behalf of Governor of H.P reserves the right to reject any or all the tenders received without assigning any reason. (9) Tender forms shall be sold to only those contractors who deposit earnest money in any of the prescribed modes simultaneously at the time of sale of tender documents.

(i) Last date of receipt of application: 29.10.2018 Up to 1.00 P.M
(ii) Date of sale of tenders 29.10.2018 Up to 5.00 PM
(iii) Last date of receipt of bids: - 01.11.2018 Up to10.30 A.M
(iv) Date of bid opening: - 01.11.2018 AT 11.30 A.M

Work No. (1) C/O Science lab for Senior Secondary School building at Kupvi in Tehsil Chopal District Shimla. (H.P.) (SH:- Providing E.I. therein.) Estimated cost Rs.3,26,781/ -Earnest money Rs.6600/-Time: One year. Cost of form Rs.350/NR

Work No. (2) C/O AE office-cum-residence building at Nerwa in Tehsil Chopal District Shimla. (SH:- Providing E.I. therein.) .Estimated cost Rs.2,09,072/-Earnest money Rs. 4200/-Time:- One year. Cost of form Rs.350/NR.

Work No. (3) C/O Bus stand at Pooh District Kinnaur (H.P.) (SH:- Providing E.I. therein.) .Estimated cost Rs2,45,472/- Earnest money Rs.5600/-Time: 3 months. Cost of form Rs.350/NR

Work No. (4) C/O Commerce block of Govt. P.G College at Rampur District Shimla. (H.P.) . Estimated cost Rs.4,23,618 /-Earnest money Rs.8700/-Time: six months. Cost of form Rs.350/-INR

Work No. (5) C/OOffice cum residential building for Assistant Director Animal Husbandry at Kaza District Lahaul & Spirit (H.P.) (SH:- Providing E.I. therein) Estimated cost Rs.4,46,610 /-Earnest money Rs.9000-Time: six month. Cost of form Rs.350/NR

Adv. No.2655/18-19 HIM SUCHANA AVAM JAN SAMPARK

मुख्यमंत्री ने पीएम से किया हिमाचल में रक्षा हवाई अड्डा बनाने का आग्रह

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नई दिल्ली में मुलाकात की। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को मानसून के दौरान भारी बारिश से हुए नुकसान

की विस्तृत जानकारी दी। जय राम ठाकुर ने प्रधानमंत्री से नुकसान के मुआवज़े के तौर पर अंतरिम राहत पैकेज की मांगा की और आकलन करने के लिए मंत्रियों की एक टीम गठित करने की मांग भी की।

उन्होंने हिमाचल प्रदेश की सामरिक भौगोलिक स्थिति के दृष्टिगत केंद्र सरकार से अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करने वाला रक्षा हवाई अड्डे के निर्माण का आग्रह किया।

जय राम ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अवगत करवाया कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ने मंडी जिला के नागचला में सर्वेक्षण किया है, जिसमें 3479 बीघा ज़मीन पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने व बड़े हवाई जहाज़ों के उतरने के लिए उपयुक्त पाया गया है। मुख्यमंत्री ने मंडी में रक्षा हवाई अड्डा बनाने की मांग की। साथ ही कहा कि पठानकोट एयरबेस पर आतंकी हमले के बाद भारतीय वायुसेना को साथ लगते क्षेत्रें में एक सुरक्षित हवाई पटी की तलाश है। शिमला, कांगड़ा व कुल्लू में बड़े हवाई जहाज़ नही उतारे जा सकते, ऐसे में मंडी एक बेहतर विकल्प हो सकता है। मंडी पूरे हिमाचल प्रदेश से जुड़ा हुआ है इसलिए किसी भी खतरे से निपटने में कारगर साबित हो सकता है। उन्होंने कहा कि मंडी हवाई अड्डा रक्षा एवं नागरिक जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगा और इससे हिमाचल प्रदेश में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हिमाचल प्रदेश आने का न्यौता भी दिया।

प्रधानमंत्री ने जयराम ठाकुर की मांगों को ध्यानपूर्वक सुना और उचित कारवाई का भरोसा दिलाया।

इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य सचिव व मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. श्रीकांत बाल्दी भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री का केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री से एम्स के निर्माण कार्य में तेजी लाने का आग्रह

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नई दिल्ली में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जे.पी. नड्डा से भेंट की। उन्होंने केन्द्रीय मंत्री को प्रदेश में स्वास्थ्य क्षेत्र में विभिन्न परियोजनाओं व कार्यक्रमों की प्रगति बारे अवगत करवाया तथा कहा कि वे इन परियोजनाओं के प्रगति व कार्यान्वयन

में स्वयं गहरी रूचि ले रहे हैं। उन्होंने केन्द्रीय मंत्री से हिमाचल प्रदेश में चल रही योजनाओं की समीक्षा करने का भी आग्रह किया। जय राम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार बिलासपुर में एम्स के निर्माण के प्रति उत्सुक है और आग्रह किया कि मंत्रालय की ओर से लम्बित औपचारिकताओं को शीघ्रता से पूरा करने का आग्रह किया ताकि जल्द कार्य आरम्भ किया जा सके। उन्होंने प्रदेश में क्रियाशील मेडिकल कॉलेजों के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी।

मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय मंत्री को महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत योजना की प्रगति के बारे में भी केन्द्रीय मंत्री को बताया तथा कहा कि इस योजना से पहाड़ी राज्य के 22 लाख लोग लाभान्वित होंगे। योजना के अन्तर्गत प्रदेश में 175 अस्पतालों को पंजीकृत किया गया है और प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत 50 लाख परिवार लाभान्वित होंगे।

उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री राज्य स्वास्थ्य देखरभाल योजना का भी कार्यान्वित कर रही है, जिसके अन्तर्गत 1.05 लाख परिवारों को लाया गया है। मुख्यमंत्री के प्रधान निजी सचिव विनय सिंह, उप आवासीय आयुक्त विवेक महाजन भी इस अवसर पर मुख्यमंत्री के साथ थे।

आईएसबीटी टुटीकण्डी से पंथाघाटी तक चलेगी मोनो रेल स्विट्जरलैंड की कम्पनी ने दी प्रस्तुति

शिमला/शैल। शिमला शहर में मोनो रेल सेवा शुरू करने के लिए मुख्यमंत्रे जय राम ठाकुर के समक्ष स्विट्जरलैंड की कम्पनी इन्टैमिन ट्रांसपोटेशन ने एक प्रस्तुति दी।

स्विट्जरलैंड की इस कम्पनी को मोनो रेल परियोजनाओं में 50 वर्षो से भी अधिक का अनुभव है और कई देशों में इस प्रकार की परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा कर चुकी है।

प्रस्तावित मोनो रेल आईएसबीटी टुटीकण्डी से शुरू होगी और पंथाघाटी तक चलेगी। इस मार्ग पर 12 ठहराव होगे, जिनमें क्रॉसिंग, नगर निगम पार्किंग, 103 टनल, विधानसभा, विकटूरी टनल, डीडीयू अस्पताल, लिफ्ट पार्किंग, हिमलैंड, टॉलैंड, एसबीआई एटीएम खलीनी, बीसीएस तथा कसुम्पटी शामिल हैं। इसकी कुल प्रस्तावित दूरी 14 किलोमीटर है जिसे मोनो रेल 20 मिनट में तय करेगी। रेल एक घण्टे में लगभग 1000 यात्रियों को यात्रा की सुविधा मिलेगी।

मोनो रेल फीडर लाइन के तौर पर सेवा प्रदान करेगी और शहर में बस सेवा का विकल्प होगी। इस परियोजना के लिए बहुत थोड़ी भूमि की आवश्यकता होगी और लगभग कोई भी पेड़ नही कटेगा।

स्विट्जरलैंड की कम्पनी इन्टैमिन ट्रांसपोटेशन के प्रतिनिधियों ने कहा कि सभी औपचारिकताओं को पूरा करने के उपरान्त यह परियोजना पूरा होने में लगभग दो वर्ष का समय लेगी।

शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज, नगर निगम शिमला की महापौर कुसुम सदरेट, अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. श्रीकान्त बाल्दी, अतिरिक्त मुख्य सचिव पर्यटन राम सुभग सिंह, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव संजय कुण्डू, नगर निगम शिमला के आयुक्त पंकज राय, निदेशक सूचना एवं जन सम्पर्क अनुपम कश्यप तथा इन्टैमिन ट्रांसपोटेशन के प्रतिनिधियों सहित अन्य लोग भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

हिमाचल में पेट्रोल व डीजल पांच रुपये सस्ता

शिमला/शैल। राज्य सरकार ने पेट्रोल व डीजल के मूल्य 2.50 रुपये कम करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आम जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने पेट्रोल व डीजल पर वैट 2.50 रुपये प्रति लीटर कम करने का निर्णय लिया है।

उन्होंने कहा कि इस निर्णय से राज्य में पेट्रोल व डीजल पांच रुपये प्रति लीटर सस्ता होगा, क्योंकि केन्द्र सरकार ने भी पेट्रोल व डीजल पर वैट 2.50 रुपये प्रति लीटर कम करने का निर्णय लिया है।

शिमला शहर को जल्द मिलेगी उत्पाती बन्दरों से निजात: गोविन्द सिंह ठाकुर

शिमला/शैल। वन, परिवहन, युवा सेवाएं एवं खेल मन्त्री गोविन्द सिंह ठाकुर ने कहा कि शिमला शहर के लोगों को उत्पाती बन्दरों से शीघ्र निजात मिलेगी।

गोविन्द सिंह ठाकुर ने कहा कि मुख्य मंत्री जय राम ठाकुर के नेतृत्व में प्रदेश में नई सरकार के गठन के उपरान्त राज्य वन्यप्राणी विभाग ने शिमला शहर सहित अन्य सभी स्थानों में जंगली जानवरों तथा बन्दरों के उत्पात से लोगों को निजात दिलाने के लिए एक कार्य योजना तैयार की है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत शिमला शहर में बन्दरों को पकड़ने तथा उनकी नसबंदी के लिए गत जुलाई माह में एक बैठक आयोजित कर चार दल गठित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इन दलों ने शिमला शहर के बन्दरों की गणना, व्यवहार तथा उनके खान-पान की आदतों के अध्ययन का कार्य जुलाई माह में आरम्भ कर दिया था। उन्होंने कहा कि इन दलों ने शिमला नगर निगम के 34 वार्डों में बन्दरों के व्यवहार का अध्ययन किया तथा गत सितम्बर माह तक शहर के 31 वार्डों में 1700 से अधिक बन्दरों की संख्या दर्ज की गई है।

वन मंत्री ने कहा कि इन दलों ने अपने अध्ययन में पाया कि बन्दर अपने भोजन के लिए शहर के कुड़ेदानों पर निर्भर है तथा बन्दर तकरीबन 90 प्रतिशत भोजन कूड़ेदानों से ही प्राप्त करते हैं। इस का संज्ञान लेते हुए उन्होंने शिमला शहर वासियों से आग्रह किया है कि वे अपने घरों से बचा हुआ खाना व अन्य खाद्य पदार्थ कूड़ेदानों में न डाले जिससे बन्दर अपने प्राकृतिक आवासों की ओर फिर से जाना प्रारम्भ करेंगे।

गोविन्द सिंह ठाकुर ने कहा कि वर्तमान में प्रदेश का वन्य प्राणी विभाग शिमला में बन्दर पकड़ने वाले तीन दलों के साथ बन्दर पकड़ने का कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि अभी तक तकरीबन 250 बन्दरों को पकड़ कर नसबन्दी केन्द्रों तक पहुंचा जा चुका है। उन्होंने कहा कि शेष बन्दरों को पकड़ने का कार्य प्रगति पर है।

उन्होंने कहा कि शिमला के आस-पास एक बन्दर अभ्यारण्य स्थल स्थापित करने के लिए सरकार प्रयासरत है, जिससे कि नसबन्दी के उपरान्त बन्दरों को इस अभ्यारण्य स्थल में पुनर्वासित किया जा सके।

उन्होंने कहा कि प्रदेश की वर्तमान सरकार मुख्य मंत्री जय राम ठाकुर के दूरदशह नेतृत्व में किसानों, बागवानों तथा आम जनता के हितों व उनकी सुरक्षा के प्रति संवेदनशील है। उन्होंने कहा कि इस दिशा में कई कदम उठाए गए है, जिसके चलते प्रदेश के लोगों को राहत मिली है।

लोक निर्माण विभाग में गुणवत्ता एवं पारदर्शिता लाने के लिए नई पहल

शिमला/शैल। अतिरिक्त मुख्य सचिव (लो.नि. एवं राजस्व) मनीषा नंदा ने कहा कि हि.प्र. लोक निर्माण विभाग विश्व बैंक द्वारा पोषित हिमाचल प्रदेश सड़क परियोजना के अन्तर्गत विभिन्न सड़कों एवं पुलों की विस्तृत सूचि एवं इनकी वस्तुस्थिति का समयबद्ध सर्वेक्षण एवं मॉनिटरिंग अब कम्प्यूट्रीक्त प्रणाली द्वारा करेगा। वह सड़क परियोजना की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रही थी।

उन्होंने कहा कि इसके लिए एक सॉफ्टवेयर तैयार किया जा रहा हैं जिसमें सात मॉड्यूल हैं। इनमें सड़क सूचना प्रणाली (RIS), पुल सूचना प्रणाली (BIS), यातायात सूचना प्रणाली (TIS) इत्यादि शामिल है, जिनमें पूरे प्रदेश की सड़कों एवं पुलों का डाटा समाहित होगा। सड़कों की वस्तुस्थिति के आंकड़ों के एकत्रीकरण का यह कार्य अत्याधुनिक उपकरणों के द्वारा किया जा रहा है जिन्हें हिमाचल प्रदेश सड़क एवं अवसंरचना विकास निगम द्वारा विभाग को उक्त परियोजना के अन्तर्गत उपलब्ध करवाया गया है।

उन्होंने कहा कि ये आंकड़े हर वर्ष बरसात के उपरांत उपरोक्त उपकरणों द्वारा एकत्रित किये जाएंगे तथा लोक निर्माण विभाग मुख्यालय में इनका विशेष विश्लेषण किया जाएगा जिसके आधार पर सड़कों के सुधार की योजना तैयार की जाएगी। इससे विभाग के विभिन्न कार्यों मे गुणवत्ता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने में सहायता मिलेगी क्योंकि आंकड़े सभी उच्चाधिकारियों के लिए ऑनलाइन उपलब्ध रहेंगे। प्रमुख अभियन्ता लोक निर्माण आर. पी.वर्मा, प्रमुख अभियन्ता (परियोजना) अशोक चौहान तथा मुख्य अभियन्ता एवं परियोजना निदेशक आर.के.वर्मा सहित विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी व विशेषज्ञ बैठक में उपस्थित रहे।

जो समय की बचत करते हैं, वे धन की बचत करते हैं और बचाया हुआ धन, कमाएं हुए धन के बराबर है।
.....महात्मा गाँधी

सम्पादकीय

फैसलों के आईने में जयराम सरकार

जयराम सरकार को सत्ता में आये नौ माह का समय हो गया है। इस दौरान दर्जनों मन्त्रीपरिषद की बैठकें हो चुकी है और हर बैठक में दर्जनों फैसले लिये गये है। लेकिन क्या इन सभी फैसलों की समीक्षा गुण दोष के आधार पर किये जाने की कोई आवश्यकता कभी उभरी है शायद नही क्योंकि अधिकांश फैसले तो ऐसे रहे है जो हर सरकार की सामान्य प्रक्रिया की एक अभिन्न अंग होते है। सरकार की सामान्य प्रक्रिया में हर कार्य के निष्पादन के लिये रूल्ज़ ऑफ विजनैस बने हुए है। इन रूल्ज़ के साथ ही हर विभाग में अपना -अपना स्टैण्डिंग आर्डर भी रहता है। ऐसे में सामान्यत जब प्रशासन स्वभाविक रूप से इन नियमों का पालन करते हुए अपना काम निपटाता रहता है तब उस पर कहीं से कोई सवाल उठता ही नही है। सवाल तब उठने शुरू होते है जब इस तय प्रक्रिया को नजर अन्दाज किया लाना शुरू होता है। वैसे तो प्रशासन के मनोविज्ञान को समझने वाले जानते हैं कि प्रशासन अपनी पकड को बनाये रखने के लिये हर सत्ता परिवर्तन के बाद राजनीतिक नेतृत्व के सामने कई ऐसे मसलों को लेकर चला जाता है जिसकी कायदे से आवश्यकता ही नही होती है। प्रशासन ऐसा करके राजनीतिक नेतृत्व की प्रशासनिक समझ और महत्वकांक्षाओं का आसानी से आंकलन कर लेता है और जब इस आकलन में राजनीतिक नेतृत्व की अक्षमता सामने आ जाती है। तब यह प्रशासन राजनीतिक नेतृत्व पर हावि हो जाता है शायद जयराम प्रशासन के साथ भी ऐसा ही हुआ है।

अभी जयराम ने नये मुख्य सचिव की नियुक्ति की है। इस नियुक्ति पर हमने इसे सरकार का पहला सही फैसला कहा था। हमारे ऐसा लिखने पर सभी संवद्ध क्षेत्रों में अपनी- अपनी तरह की प्रतिक्रियाएं हुई है। ऐसी प्रतिक्रियाएं होगी ऐसा हमारा विश्वास भी था। इसलिये अब सरकारे के कुछ फैसलों पर आकलन की दृष्टि से लिखना आवश्यक हो जाता है। इस आकलन का आधार हमे उस सबसे मिल जाता है जो विधानसभा चुनावों से पूर्व घटा था। पाठकों को याद हागो कि विधानसभा चुनावों के दौरान ही भाजपा ने एक प्रपत्र जारी किया था ''हिमाचल मांगे हिसाब'' इस प्रपत्र में कुछ मुद्दों को उछालते हुए वीरभद्र सरकार से उन पर जब जवाबे मांगा गया था। इसमें बहुत सारे तात्कालिक मुद्दे थे और इनसे यह विश्वास बना था कि यह पार्टी सत्ता में आकर कम सके कम इस सबको दोहराने का प्रयास नही करेगी। लेकिन जब सत्ता में आकर अपने ही स्वत: प्रचारित-प्रसारित मुद्दों पर अपना ही आचरण एकदम यूटर्न ले गया तो आम आदमी के विश्वास को इससे आघात पहुंचना स्वभाविक था और ऐसा हुआ भी। वीरभद्र सरकार पर बड़ा आरोप था कि उसने प्रदेश को कर्ज के गर्त में डाल दिया है। यह आरोप था और है भी सही। इसमें जयराम से यह उम्मीद थी और प्रशासनिक सूझ-बूझ का तकाजा भी था कि प्रदेश की वित्तिय स्थिति पर एक सफेद पत्र लाया जाता और जनता को असलीयत की जानकरी दी जाती । यदि जनता के सामने यह स्थिति रख दी जाती तो शायद इस पर कांग्रेस के पास कोई जवाब न होता। क्योंकि 27 मार्च 2016 को भारत सरकार के वित्त विभाग से प्रदेश सरकार को एक पत्र आया था और कर्जो की सीमा तय करते हुए सरकार को गंभीर चेतावनी दी गयी थी। परन्तु 2017 के चुनावी वर्ष में केन्द्र के इस चेतावनी पत्र को नज़रअन्दाज करके कर्ज की सीमाओं का खुलकर दुरूपयोग किया गया। सफेद पत्र आने से उस वक्त के संवद्ध प्रशासनिक और राजनीति नेतृत्व का असली चेहरा जनता के सामने आ जाता। लेकिन जयराम के सलाहकारों ने ऐसे नही होने दिया और यह इस सरकार की पहली सबसे बड़ी भूल रही।

इसके अतिरिक्त चुनावों के दौरान लगाये गये आरोप में कुछ नियुक्तियों पर गंभीर एतराज उठाया गया था। लेकिने सत्ता में आने उपर इन नियुक्तियों को रद्द करने की बजाये उन्ही संस्थानों में पदों का सृजन करे और नियुक्तियां कर दी गयी। भाजपा वीरभद्र सरकार पर यह आरोप लगती थी कि इसे ''रिटायड-टायरड'' लोग चला रहे है। परन्तु सत्ता में आने पर स्वंय भी वैसा ही जब किया जाने लगा तो निश्चित रूप से इससे सरकार और इसके मुखिया की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिन्ह लगे हैं। मुख्यमुन्त्री के अपने ही गृहक्षेत्र में एसडीएम कार्यालय को लेकर जो कुछ घटा है उसे मुख्यमन्त्री के गिर्द बैठे शीर्ष प्रशासन की धूर्तता करार देने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नही है। प्रशासनिक स्तर पर जो तबादले किये उसमें भी रोज बदलाव होते रहे। इसके लिये भी शीर्ष प्रशासन को ही ज्यादा जिम्मेदार माना जायेगा और शायद यह इसलिये हुआ है क्योंकि संभवत: इनकी निष्ठाएं बंटी हुई थी। क्योंकि पिछले मुख्य सचिव के अपने ही गिर्द ऐसे आरोप चल रहे थे जिनके लिये मुख्यमन्त्री को स्वयं उनकी रक्षा के लिये आना पड़ा। इस परिदृश्य में अब जो नियुक्ति की गयी है शायद उसके साथ ऐसी कोई स्थिति नही है और इसी संद्धर्भ में हमने इसे सही फैसला कहा है।

अब तक के नौ माह में कई ऐसे फैसले भी हुए है जिनसे सरकार पर आने वाले समय में कई गंभीर आरोप लगेंगे। उनपर अगले अंको में चर्चा करेंगे।

'नई राहें नई मंजिलें' योजना के तहत 50 करोड़ रुपये में पर्यटन का बुनियादी ढांचा होगा विकसित

प्रदेश में पर्यटन की अपार संभावनाओं को देखते हुए ढांचागत विकास, सड़क कनेक्टिविटी, आवासीय सुविधाओं आदि पर बल दिया जा रहा है। राज्य सरकार पर्यटन गतिविधियों में विविधता लाने, अनछुए और दूरदराज के पर्यटन स्थलों के दोहन पर विशेष ध्यान दे रही है।

राज्य सरकार ने नए क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने और पर्यटन से जुड़े बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए 'नई राहें नई मंजिलें' नाम की एक नई योजना शुरू की है। चूंकि पर्यटन हिमाचल की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा है। इसलिए यह योजना राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सही दिशाओं में एक बड़ा प्रयास होगा। इस योजना के लिए वर्ष 2018 – 19 में 50 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है। इस योजना से ग्रामीण इलाकों में नए और अनछुए पर्यटन स्थलों को पहचान मिलेगी।

बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाने पर मुख्य रूप से जोर दिया जा रहा है। पार्क, पैदल मार्ग, ट्रेकर्स होस्टल, शौचालयों, मंदिरों का सौंदर्यीकरण, सड़कों की चौड़ाई, वर्षा शालिकाओं, सरायों, सड़क संकेत और यातायात के दिशा-निर्देशों, सड़क मार्ग पार्किंग, ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन, सामुदायिक हॉल, प्रकाश और कचरा प्रबन्धन जैसी सुविधाएं नए परिभाषित पर्यटन सर्किट में विकसित की जा रही है। स्थानीय लजीज व्यंजनों, लोक कलाकारों, स्थानीय कारीगरों, संस्कृति, स्थानीय वेश-भूषा, टूर गाइडों, पर्यावरण गाइडों, एडवेंचर गाइडों को प्रोत्साहित कर रोजगार के अतिरिक्त अवसर पैदा करने पर भी बल दिया जा रहा है।

योजना का उद्देश्य विशेष रूप से ग्रामीण इलाकों में पर्यटन में विविधता और नए स्थानों पर बुनियादी ढांचे के विकास, ग्रामीण पर्यटन, रोजगार और आजीविका के अवसरों के प्रचार और उसके बाद नए स्थानों के प्रचार व प्रसार को बढ़ावा देना है। इन नए पहलुओं के तहत मण्डी जिले के जंजैहली, कांगड़ा जिले के बीड़ बिलिंग और जिला शिमला के चांशल को शामिल किया गया है।

योजना के तहत मण्डी जिले के जंजैहली में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए जंजैहली, थुनाग, शिकारी देवी, पुडा केदार, तुंगारी टोप इत्यादि के आस पास साहसिक पर्यटन, जंगल ट्रैकिंग मार्गों को बढ़ावा देने के लिए अस्थायी तंबू बनाए जाएंगे। पर्यटकों की सुविधा के लिए जंजैहली सर्किट में 40 नए ट्रेकिंग मार्ग भी विकसित किए जाएंगे। 12 वन विश्राम गृहों को भी पर्यटकों की सुविधा के लिए स्तरोन्नत किया जाएगा। पर्यटकों के आकर्षण के लिए क्षेत्रों को 16.70 करोड रुपये की लागत से विकसित किया जाएगा। इसके अलावा, एशियाई विकास बैंक के 25.17 करोड रुपये के वित्त पोषण पर्यटकों संस्कृति केंद्र को भी स्थापित किया जा रहा है।

कांगड़ा जिले में बीड़ बिलिंग को इस योजना के तहत 14.62 करोड रुपये खर्च करके पर्यटन स्थल के रूप में भी विकसित किया जाएगा। केंद्र सरकार की 'स्वदेश दर्शन योजना' के तहत बीड़ बिलिंग में 8. 07 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से एक पैराग्लाइडिंग संस्थान स्थापित किया जा रहा था।

इसी तरह शिमला जिले के चांशल क्षेत्र को भी इस नई योजना के तहत पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा तथा इसके अन्तर्गत 15.12 करोड़ रुपये से क्षेत्र में साहसिक खेल, स्कीइंग और कैंपिंग की अत्यधिक संभावनाओं के दृष्टिगत विकसित किया जाएगा।

राज्य सरकार पर्यटकों और स्थानीय लोगों की सुविधा के लिए राज्य में अधिकतम संख्या में रोपवे स्थापित करेगी। सरकार ने उन उद्यमियों को कई रियायतें देने का फैसला किया है जो रोपे-वे परियोजनाओं में निवेश करने में रूचि रखते हैं और इसमें पहले 7 वर्षों के लिए वार्षिक लाइसेंस शुल्क मुद्र करना शामिल है। श्री नैना देवी रोपवे के निर्माण के लिए पंजाब सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। धर्मशाला-मेकलोडगंज रोपवे पर निर्माण 15 करोड रुपये की लागत से किया जा रहा है।

पलचान से रोहतांग रोपे-वे का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है, जबकि आदी-हिमानी से चामुंडा और भुंतर को बिजली महादेव रज्जू मार्ग का निर्माण भी शीघ्र किया जाएगा। चमेरा, पोंग बांध, गोबिंद सागर, तत्तापानी, लारजी और पंडोह जैसे कई मानव निर्मित जलाशयों में साहसिक और जल खेलों के लिए आकर्षण के रूप में विकसित करने की अत्यधिक क्षमता है। गोबिंद सागर झील पानी के खेलों, शिकारा (हाउस बोट), नौकायान, समुद्री विमान और अन्य मनोरंजक गतिविधियों के लिए विकसित किया जा रहा है। इसी प्रकार, पोंग बांध पक्षी प्रमियों के लिए एक पसंदीदा गंतव्य होने के नाते जल क्रीड़ा के लिए एक प्रमुख आकर्षण के रूप में विकसित किया जाएगा।

राज्य सरकार निजी क्षेत्र में भी होम स्टे योजना को प्रोत्साहित कर रही है। इन सर्किटों में नेचर वॉक, इको-ट्रेल्स, ट्रेक्स, बगीचे की यात्रा और अन्य आकर्षण विकसित किए जा रहे हैं।

प्रदेश सरकार पर्यटन एवं विकास की दृष्टि से बीबीएमबी के साथ पंडोह बांध में जल क्रीडा और मनोरंजक गतिविधियों की अनुमति प्रदान करने का मामला उठाएगी। इसके अलावा, भाखड़ा बांध व कौलडैम में भी पर्यटकों को आर्कषित करने के लिए जल क्रीड़ाओं को आरम्भ करने का मामला भी केन्द्र सरकार से उठाया गया है, जिसकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट भी तैयार कर ली गई है।

प्रदेश में इको पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इको पर्यटन की वैबसाईट द्वारा अब वन विभाग के 100 विश्राम गृहों की बुकिंग की जा सकेगी। हिमाचल प्रदेश इको पर्यटन सोसायटी के तहत प्रदेशभर में इको पर्यटन पर विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं। प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने के उद्देश्य से इको पर्यटन गाउंड का प्रशिक्षण इको पर्यटन सोसायटी द्वारा किया जा रहा है। वन विश्राम गृह की जानकारी को एकत्रित कर एक कॉफी टेबल पुस्तिका का भी प्रकाशन किया जा रहा है ताकि प्रदेश में आने वाले पर्यटकों को इससे सुविधा हो सके। इको पर्यटन की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए इको पर्यटन सोसायटी द्वारा एक इको क्लब बनाया गया है। सोसायटी द्वारा इस क्लब में अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं।

केन्द्र सरकार द्वारा प्रदेश में पर्यटन के बुनियादी ढांचे को सुद्धढ़ करने तथा शहरों का सौंदर्यीकरण, पर्यटन की दृष्टि से ग्रामीण क्षेत्रों का विकास, पर्यटन गतिविधियों में स्वरोजगार के अवसर, धरोहर भवनों का जीर्णोद्धार तथा साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 1892 करोड़ रुपये की एक महत्वाकांक्षी योजना स्वीकृति की गई है। एशियन विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित इस परियोजना व सरकार की अनेक पहलों से आने वाले दिनों में प्रदेश में पर्यटन गतिविधियों को और अधिक बढ़ावा मिलेगा।

राजनीतिक सत्ता से बड़ी ना कोई विचारधारा ना ही कोई बिजनेस

पुण्य प्रसून वाजपेयी

क्या राजनीतिक सत्ता का खेल अब इस चरम पर पहुंच गया है, जहां देश में हर विचार सत्ता के लिये है। और सत्ता का मतलब है सबसे ज्यादा मुनाफा। कारपोरेट हो या मीडिया। अदालत हो या औद्योगिक घराने। धंधा खनन का हो या इन्फ्रास्ट्रक्चर का। सभी को चलना सत्ता के इशारे पर ही है और अपने अपने दायरे में सभी का मुनाफा राजनीतिक सत्ता से तालमेल बैठ कर ही संभव है।

तो क्या राजनीतिक का अपराधीकरण या क्रोनी कैपटलिज्म या फिर माफिया राजनीतिक नैक्सस से आगे बात निकल चुकी है, जहां देश एक बाजार है और हर काम एक बिजनेस। और सबसे बडा बिजनेस राजनीतिक सत्ता है, जिसके पास आ गई उसकी ताउम्र की लाटरी खुल गई। और इसी लाटरी की जद्दोजहद ही देश में विचार भी है और विचारधारा भी। जरा इसे सिलसिलेवार तरीके से परख लें।मसलन, केरल संकट को राष्ट्रीय आपदा क्यों नही माना गया क्योंकि वहा बीजेपी की सरकार नही है? बिहार के मुज"फरपुर से लेकर आरा तक जो लड़कियों से लेकर महिला के साथ हुआ उसे जंगल राज नही माना सकता क्योंकि वहां की सत्ता में बीजेपी साथ है? पं बंगाल में ममता बनर्जी की सत्ता बीजेपी के लाउडस्पीकर की आवाज बंद कर देती है क्योंकि वह बीजेपी की नही है और बीजेपी से राजनीतिक तौर पर दो दो हाथ कर रही है? यूपी में इनकाउंटर दर इनकाउंटर पर कोई सवाल जवाब नही करता चाहे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ही आवाज क्यों ना लगाये।

क्योंकि योगी की सत्ता संघ की मोदी की सत्ता का ही विस्तार है? किसान-मजदूर, स्वदेशी, महिला, आदिवासी सरीके दर्जनों समुदाय से जुड़े मुद्दे जो कल तक राष्ट्रीय स्वयसेवक संघ के सेवा से जुडे थे, अब उसको भी सत्ता की नजर लग गई है यानी जो सत्ता करे वह ठीक? और ठीक का मतलब शिक्षा का क्षेत्र हो या हेल्थ का। रोजगार का सवाल हो या किसानी का। महिलाओं के खिलाफ बढते मामले हो या फिर दलित उत्पीडन के मामले। हर सवाल का जवाब खोजना होगा तो राजनीतिक सत्ता के दरवाजे पर दस्तक देनी ही होगी।और चाहे अनचाहे सारे सवाल उस राजनीति से टकरायेंगे ही जो मुद्दों के समाधान की जगह मुद्दों को हड़पकर सत्ता पाने या सत्ता ना गंवाने की दिशा को तय करेंगे। तो क्या दुनिया का सबसे बड़ा लोकतात्रिक देश वाकई उसी लोकतंत्र को जी रहा है, जिसका नाम है चुनावी लोकतंत्र। और चुनाव ही देश का सिस्टम बनाता है। चुनाव ही राजनीतिक दलों के भीतर रोजगार पैदा करता है । चुनाव में जीतने वाले का राजनीतिक घोषणापत्र ही देश का संविधान होता है । चुनाव में सत्ता के लिये काम करना ही संवैधानिक संस्थाओं का मूल धर्म है । चुनावी तौर तरीके ही देश में कानून का राज बताने दिखाने के लिये काम करते हैं। दलित उत्पीडन हो या मुस्लिम इनकाउंटर कानून चुनावी जोड़-घटाव करने वाले राजनीतिक सत्ता के सामने नजमस्तक होकर पूछता ही है , करना क्या है ? यानी लकीर बारीक है पर धीरे धीरे आजादी के बाद से लोकतंत्र की समूची खुशबु ही जिस तरह चुनावी राजनीति में जा सिमटी है उसमें अब देश का मतलब चुनाव है और चुनाव का मतलब है सत्ता पाने की होड़। यानी देश की विचारधारा। देश का धर्म। देश की संस्कृति। देश की पहचान। क्या ये सब मायने रखते है अगर इन शब्दों का इस्तेमाल राजनीति ना करें । या फिर इन शब्दो के आसरे सत्ता ना मिल पाये तो ये शब्द क्या मायने रखते है। नेहरु का समाजवाद हो या मार्क्स-लेनिन करते हुये वर्ग संघर्ष का सवाल उठाने वाली वामपंथी सोच। या फिर हिन्दुत्व का नारा लगाते स्वयंसेवकों की टोली से निकली जनसंघ फिर बीजेपी। ध्येय सत्ता रही। और हर राजनीतिक दलों के कार्यकत्ता-नेताओ के लक्ष्य ने कुछ हद तक अपनी अपनी विचारधारा को राजनीतिक तौर पर मथने का वह देश की जनता को दिया। पर जब विचार ही सत्ता पाना हो जाये तो क्या होगा। इमरजेन्सी के बाद मोरारजी की सत्ता को उनके साथी सत्ताधारी ही चुनौती देते हैं क्योकि उन्हे आपातकाल के बाद के हालात को बदलना नही था बल्कि सत्ता पाना था। तो चरण सिंह, बाबू जनजीवनराम से लेकर जनता पार्टी से जुडे स्वयंसेवकों की दोहरी सदस्यता सवाल उठाते हुये अपने अपने सत्ता के लक्ष्य की दिशा में बढ़ जाती है। वीपी लसह बोफोर्स घोटाले की आग में हाथ सेंकते हुये सत्ता पाते है पर देश को घोटाले या भ्रष्टाचार से आगे ले नही जा पाते । मंडल कमंडल की आग जाति-धर्म को वोट बैंक बना कर सत्ता पाने का खेल सिखा देती है । क्षत्रपों की पूरी कतार ही राष्ट्रीय राजनीति करने वाले राजनीतिक दल और उनके नेताओं को हराने में इसलिये सक्षम हो जाती है क्योंकि विचारधारा किसी के पास बची नही या कहे सत्ता पाना ही प्रमुख विचारधारा बन गई। तो फिर सत्ता के करीब हो कर सत्ता की मलाई पाना हो या सत्ता के जरिए अपने न्यूनतम काम कराना हो, इसे क्षत्रपों की राजनीति से बल मिला। तो धीरे धीरे सत्ता की सिस्टम हो गया और सिस्टम का काम करना ही सत्तानुकुल हो गया। कोई विचार बचा नही कि देश कैसे गढ़ना है। कोई सोच बची नही कि देश के सांस्कृतिक मूल्य भी मायने रखते है। तो फिर संस्थानों का सत्तानुकुल होना भर नही बल्कि संस्थानों का ढहना भी शुर हो गया। सिर्फ संवैधानिक या स्वायत्त संस्थान मसलन सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग, सीवीसी, सीबीआई, सीआईसी, यूजीसी ही नही ढहे बल्कि भविष्य के लिये कैसे भारत को गढ़ा जाये इसपर सीधे असर डालने वाली शिक्षा व्यवस्था भी उसी राह निकली। ?

यानी कालेज -विश्वविद्यालय में क्या पढाया जाये और कैन पढाये तक सत्ता की निगरानी में आ गया । और असर इसी का है मौजूदा वद्र में भारत दुनिया का नंबर एक देश है जहा से सबसे ज्यादा छात्र उच्च शिक्षा के लिये देश छोड़ रहे हैं। और दूसरी तरफ भारत ही दुनिया का नंबर एक देश है जो अपने ही भविष्य को यानी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा दे पाने में सक्षम हो नही पा रहा है । तो लकीर वाकई महीन है कि सत्ता पाने की होड़ में फंसे देश में चुनाव क्यों कैसे महत्वपूर्ण हो गया और 2014 के बाद के हालात चरम पर तो नही पहुंच गये। क्योकि 2014 में सिर्फ सत्ता पाने की बात थी। और सत्ता के लिये क्या कुछ हुआ उसे दोहराने से अच्छा है कि अब 2019 से पहले कैसे सत्ता के बनाये कटघरे में ही सत्ता पाने के लिये हर राजनीतिक दल मचल रहा है। कोई भी जाति, धर्म, संप्रदाय से जुडा कोई भी मुद्दा हो या फिर शिक्षा, स्वस्थ्य , रोजगार से लेकर किसान-मजदूर , महिला, दलित अल्पसंख्यक का मुद्दा। किसी राजनीतिक पार्टी के पास क्या कोई विचार है। क्या देश में कोई विचारधारा भारत को गढने के लिये है। क्या दुनिया को मौजूदा भारत अतीत के स्वर्णिम दौर के अलावे कोई सदेश दे सकता है कि आने वाले वक्त में कैसा भारत होगा। क्योंकि दुनिया के लिये भारत एक बाजार है। जहां जनसंख्या के लिहाज से एक तबका सबसे बडा उपभोक्ता है। दुनिया के लिये भारत का मतलब भारत डंपयार्ड है जहां प्रतिबधित दवाई से लेकर हथियार बेचे जा सकते हैं। दुनिया के लिये भारत सस्ते मजदूर । मुफ्त का इन्फ्रास्ट्रक्चर ।खनिज की लूट का प्रतीक है। और ये सारे अधिकार किस सत्ता के पास होने चाहिये या फिर सत्ता कैसे इन अधिकारों को अपने हक में करने के लिये बैचेन है । ध्यान दिजिये तो मौजूदा वद्र में देश का विचार यही है विचारधारा यही है। क्योंकि राजनीति से बडा कोई बिजनेस है नही और सबसे मुनाफे वाले धंधे से बडा कोई विचार अभी दुनिया में है नही।

महिला होना कुछ खास होता है

'लड़कियों की तरह दौड़ने' का मतलब 'कुछ अजीब तरीके से' दौड़ना होता है। लेकिन जब एक पाँच साल की बच्ची से पूछा गया कि अगर तुमसे कहा जाए कि लड़कियों की तरह दौड़ कर दिखाओ तो तुम कैसे दौड़ोगी? तो उसका बहुत ही सुन्दर जवाब था, 'अपनी पूरी ताकत और जोश के साथ'। -डॉ नीलम महेंद्र-

अभी हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो जिसका शीर्षक था,' रन लाइक अ गर्ल' अर्थात एक लड़की की तरह दौड़ो, काफी सराहा गया जिसमें 16-28 साल तक की लड़कियों या फिर इसी उम्र के लड़कों से जब 'लड़कियों की तरह' दौड़ने के लिए कहा गया तो लड़के तो छोड़िए लड़कियाँ भी अपने हाथों और पैरों से अजीब अजीब तरह के ऐक्शन करते हुए दौड़ने लगी। कुल मिलाकर यह बात सामने आई कि उनके अनुसार 'लड़कियों की तरह दौड़ने' का मतलब 'कुछ अजीब तरीके से' दौड़ना होता है। लेकिन जब एक पाँच साल की बच्ची से पूछा गया कि अगर तुमसे कहा जाए कि लड़कियों की तरह दौड़ कर दिखाओ तो तुम कैसे दौड़ोगी? तो उसका बहुत ही सुन्दर जवाब था, 'अपनी पूरी ताकत और जोश के साथ'।

मतलब साफ़ है कि एक पांच साल की बच्ची के लिए 'दौड़ने'और 'लड़कियों जैसे दौड़ने' में कोई अंतर नही है लेकिन एक व्यस्क लड़के या लड़की के लिए दोनों में बहुत फर्क है। यहाँ गौर करने वाले दो विषय हैं पहला यह कि बात केवल महिलाओं के प्रति समाज के नजरिये की ही नही है बल्की खुद महिलाओं की स्वयं अपने प्रति उनके खुद के नजरिये की है दूसरा यह कि यह नजरिया एक बच्ची में नही दिखता ।

21 वी सदी में, आज जब हम केवल भारत ही नही बल्कि वैश्विक परिदृश्य पर वर्तमान की अपनी इस मानव सभ्यता को आंकते हैं तो निश्चित ही स्वयं को इतिहास में अब तक की सबसे विकसित सभ्यता होने का दर्जा देते हैं।

लेकिन फिर भी जब इस तथाकथित विकसित सभ्यता में लैंगिक समानता की बात आती है तो परिस्थितियां केवल भारत ही नही बल्कि सम्पूर्ण विश्व में बेहद निराशाजनक हैं।

क्योंकि बात दरअसल यह है कि आज भी महिलाओं को उनकी 'योग्यता' के आधार पर नही,बल्कि उन्हें एक 'महिला होने' के आधार पर ही आंका जाता है।

आज भी देखा जाए तो विश्व में कहीं भी महत्वपूर्ण और उच्च पदों पर महिलाओं की नियुक्ति न के बराबर है। और यह स्थिति दुनिया के लगभग हर देश में ही है क्योंकि खुद को एक ईकवीटेबल सोसायटी कहने वाला विश्व का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिका भी आज तक अपने लिए एक महिला राष्ट्रपति नही चुन पाया है।

लेकिन बात केवल इतनी भर हो, ऐसा भी नही है बल्कि बात यह भी है कि जिन पदों पर महिलाओं की नियुक्ति की जाती है वहाँ भी उन्हें उसी काम के लिए पुरुषों के मुकाबले कम वेतन दिया जाता है। यहाँ शायद यह जानना रोचक होगा कि यह बात हाल ही में विश्व में महिलाओं की वर्तमान सामाजिक स्थिति से सम्बन्धित एक रिपोर्ट में सामने आई कि ब्रिटेन जैसे विकसित देश में भी कई बड़ी बड़ी कंपनियों में महिलाओं को उसी काम के लिए पुरुषों के मुकाबले कम वेतन दिया जाता है।

तो अब जब इन तथाकथित उदार और मोर्डन सोसाइटीस में महिलाओं की यह स्थिति है तो भारत में हमारे लिए एक समाज के रूप में यह समझ लेना भी आवश्यक है कि इन देशों की 'उदार और मार्डन' सोच केवल महिलाओं के कपड़ों और खान पान तक ही सीमित है। बात जब उनके प्रति दृष्टिकोण और आचरण की आती है तो इन तथाकथित उदारवादी संस्कृति वाले देशों में भी जेन्डर इनइक्वेलिटी यानी लैंगिक असमानता व्याप्त है।

लेकिन इसका सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हमारे लिए यह एक संतोष का विषय न होकर एक गहन चिंतन का विषय होना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों है? और जब हम सोचेंगे तो पाएंगे कि दरअसल एक समाज के रूप में यह हमारी एक मानसिक स्थिति है जिसकी जड़ें काफ़ी गहरी हैं।

अब अगर इस सोच की जड़ों को खोजेंगे तो पाएंगे कि इस सोच के बीज अपने बच्चों में न सिर्फ हम खुद ही बोते हैं बल्कि उन्हें लगातार पोषित भी करते हैं। कैसे?

वो ऐसे कि बचपन से ही जब ये बच्चे कुछ समझने लायक हो जाते हैं तो हम उन्हें कहानियाँ सुनाते हैं और जब पढ़ने लायक हो जाते हैं तो इन्हें पुस्तकें पढ़ने के लिए देते हैं, और आपको शायद यह जान कर अजीब लगे लेकिन इन कहानियों के द्वारा ही अनजाने में हम इस मानसिकता के बीज अपने बच्चों के हृदय में डाल देते हैं, जैसे कि एक सुंदर और नाजुक सी राजकुमारी को एक राक्षस ले जाता है जिसकी कैद से उसे एक ताकतवर राजकुमार आकर बचाता है, हमारे बच्चों के मन में इस प्रकार की कहानियाँ किस मानसिकता के बीज बोते होंगे?

शायद अब हम समझ पा रहे हैं एक पांच साल की बच्ची और एक व्यस्क लड़के या लड़की की सोच के उस अन्तर को जो कि हमारे ही द्वारा डाला जाता है और कालांतर में समाज में भी दिखाई देता है।

इसलिए एक सभ्य एवं विकसित समाज के रूप में हमारे लिए यह समझना बेहद आवश्यक है कि केवल समाज ही नही बल्की महिलाओं को भी स्वयं अपने प्रति नजरिया बदलने की जरूरत है। सबसे पहली और सबसे अहम बात कि महिला होने का अर्थ अबला होना नही होता और न ही कुछ स्टीरियोटाइप होना होता है बल्कि महिला होना 'कुछ खास' होता है, जो आप हैं जैसी आप हैं वैसे ही होना होता है, अपना सर्वश्रेष्ठ देना होता है और अपने आत्मबल से अपने प्रति समाज की सोच बदल देना होता है। स्वयं के एक स्त्री होने का जश्न मनाना होता है ।

बेहतर अधोसंरचनात्मक एवं प्रशिक्षण सुविधाओ से हिमाचल में खेल गतिविधियों को मिला व्यापक प्रोत्साहन

युवाओं को राष्ट्र पुनर्निर्माण, विकासात्मक और सामाजिक गतिविधियों से जोड़ने तथा खिलाड़ियों को बेहतर खेल सुविधाएं व तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करने की दिशा में राज्य युवा सेवाएं एवं खेल विभाग महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। विभाग के निरंतर बढ़ते महत्व को देखते हुए वर्तमान वित्त वर्ष में विभाग के लिए 4542.27 लाख रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है, जो 1982 – 83 में मात्र तीन लाख रुपये था। प्रदेश सरकार के प्रयास हैं कि अंतरराष्ट्रीय खेल मानचित्र पर हिमाचल प्रदेश का नाम रोशन हो। पिछले कुछ वर्षों में राज्य के लगभग 4000 खिलाड़ियों ने अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में अपनी छाप छोड़ी है। हाल ही में इंडोनेशिया के जकार्ता में सम्पन्न हुए एशियाई खेलों में हिमाचल प्रदेश के खिलड़ियों ने दो पदक प्राप्त किए, जो प्रदेश के लिए गर्व की बात है।

खेलों को व्यापक स्तर पर बढ़ावा देने के उद्देश्य से सभी ज़िलों में ज़िला प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किए गए हैं, जिन्हें ज़िला युवा सेवा एवं खेल अधिकारी, प्रशिक्षित प्रशिक्षकों, जूनियर प्रशिक्षकों तथा जूनियर अनुबंधित प्रशिक्षकों की देख-रेख में संचालित किया जा रहा है। विभाग में 10 ज़िला युवा सेवा एवं खेल अधिकारी तथा विभिन्न खेलों के 63 प्रशिक्षक अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।

युवाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। युवा संस्थाओं को मान्यता प्रदान कर उन्हें युवा गतिविधि कार्यक्रम चलाने के लिए सहायता अनुदान देने के साथ-साथ प्रतिभाशाली युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कारों से सम्मानित किया जाता है।

राज्य युवा बोर्ड विभिन्न ज़िला युवा बोर्ड को युवा मण्डलों, स्वैच्छिक संस्थाओं को सांस्कृतिक, खेल, सामाजिक तथा साहसिक गतिविधियों के आयोजन के लिए सहायता अनुदान उपलब्ध करवाता है। वर्ष 2018 – 19 में राज्य युवा बोर्ड को एक करोड़ रुपये सहायता अनुदान के लिए उपलब्ध करवाए गए।

प्रदेश में समस्त 78 विकास खण्डों में नोडल क्लब स्थापित किए गए हैं। सांस्कृतिक तथा क्रीड़ा सामान उपलब्ध करवाने के लिए प्रत्येक नोडल क्लब को 35 हजार रुपये तक की राशि उपलब्ध करवाई जाती है।

कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत युवाओं को कम्प्यूटर में एक वर्ष का प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है ताकि युवा आत्मनिर्भर बन सकें। राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत भी युवाओं को वित्तीय सहातया का प्रावधान किया गया है।

प्रदेशके उत्कृष्ट खिलाड़ियों को रोज़गार प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार ने तीन प्रतिशत खेल कोटा निर्धारित किया है। योजना के अंतर्गत अब तक 500 उत्कृष्ट खिलाड़ियों को रोज़गार प्रदान किया जा चुका है।

हिमाचल प्रदेश क्रीड़ा परिषद् खेल संबंधित गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए विशेषतौर पर प्रयासरत है। वर्ष 2018 – 19 के दौरान परिषद् की विभिन्न गतिविधियों के आयोजन के लिए 280 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। राज्य में दिव्यांग खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए विभाग द्वारा ज़िला व राज्य स्तर पर खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है।

विभाग ने पिछले कुछ वर्षों में प्रदेश में खेल अधोसंरचना के विकास पर विशेष ध्यान दिया है। ऊना, बिलासपुर, शिमला, धर्मशाला, रोहड़ू में इंडोर स्टेडियम, सरस्वतीनगर, रोहड़ू, दुलैहड़ (ऊना), रैहन (कांगड़ा), बिलासपुर, कल्पा (किन्नौर) में आउटडोर स्टेडियम निर्मित किए गए हैं। राजकीय महाविद्यालय, हमीरपुर और धर्मशाला में 400 मीटर सिंथेटिक एथेलेटिक ट्रैक तथा शिमला, ऊना, धर्मशाला में वॉलीबाल सिंथेटिक सरफेसिज और ऊना में एस्ट्रोटर्फ हॉकी फील्ड तैयार की गई है।

इंडोर बैडमिंटन होवा (सिंथेटिक) कोर्ट की सुविधा शिमला, मण्डी, ऊना व बिलासुपर में उपलब्ध करवाई गई है। इसके अतिरिक्त प्रदेश के आठ जिला मुख्यालयों पर मल्टी जिम की सुविधा उपलब्ध है। खेल छात्रावास ऊना में 70 छात्रों को कुश्ती, एथलैटिक्स, जूडो, वॉलीबाल, खेल छात्रावास बिलासपुर में 70 छात्र-छात्राओं को हॉकी, हैंडबाल, एथलैटिक्स व कबड्डी में नियमित प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। ज़िला शिमला के दत्तनगर में भी खेल छात्रावास का निर्माण किया गया है।

पंचायत स्तर विभाग ने 57 बहुद्देशीय आउटडोर और लगभग 3200 छोटे खेल मैदान निर्मित किए हैं। इंदिरा गांधी अंतरंग राज्य खेल परिसर, शिमला में बैडमिंटन, मल्टीजिम, वॉलीबाल, जूडो, बॉक्सिंग, कराटे, ताईकवांडों, टेबल-टेनिस को प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। प्रदेश सरकार अब तक 1554 श्रेष्ठ खिलाड़ियों को लगाभग 3.94 करोड़ रुपये के नकद पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है।

उच्च शिक्षा का निजीकरण स्वतंत्र भारत की सबसे बड़ी भूल

डॉ. के. राकेश

भारत वर्ष अपने 70 वर्ष के इतिहास में राष्ट्र के पुनर्निर्माण में शिक्षा के महत्व को समझने के बावजूद राष्ट्र की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था के कर्णधारों ने शिक्षा के समूल ढांचे से खिलवाड़ के चलते बार-बार प्रयोग किये फलस्वरूप आज देश में हम अपनी सभ्यता, संस्कृति, परिवेश, भू भगौलिक और आर्थिक स्थिति के अनूरूप ना तो पाठयक्रम न ही शिक्षण संस्थान और व्यवस्था बना पाए। 1990 के दशक में देश के कुछ दक्षिणी और पश्चिमी राज्यों में सफलता पूर्वक चल रहे निजी संस्थानों, विदेशों में कार्यरत्त कुछ निजी विश्वविद्यालयों की तर्ज पर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा बदलाव करते हए उच्च शिक्षा के निजीकरण (विशेषतया व्यवसायिक शिक्षा) के क्षेत्र में निजी भागीदारी को देश में शिक्षा प्रसार का मूलमंत्र बना दिया। फलतय: देश के सभी राज्यों में निजी इंजीनिरिंग, मैनेजमेंट, मेडिकल, कॉलेजों के साथ साथ निजी विश्वविद्यालयों की बाढ़ आ गयी। उच्च शिक्षा के निजीकरण की सबसे बड़ी इस भूल का खामियाजा देश सदियों तक भुगतेगा ।

निजीकरण के साथ साथ सरकार द्वारा स्वायत्ता, स्वतंत्रता, आत्मवलोकन, गुणवत्ता, नज़र रखने के लिए प्रभावशाली, दंडात्मक व्यवस्था के अभाव में इन निजी संस्थानो को जहां फीस और फंड वसुलने की लूट की छूट दे दी वहीं शिक्षण सुविधाओं के नाम पर अधकचरे पाठयक्रम, कचरा आधारभूत ढांचे, 3और 4 दर्जे के शिक्षक, 5वें दर्जे की प्रयोगशालाओं, में जो शिक्षा दी जा रही है उससे देश में बेरोजगार, डिग्रीधारकों, की फसल खड़ी हो गयी है। जिसको 90% विषय के सामान्य ज्ञान की भी जानकारी नही होती है। जिसके कारण देश शिक्षा त्रासदी के कगार पर पहुंच गया है। देश में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता बनाये रखने की जिम्मेदार संस्थाओं UGC, AICT, MCI, DCI, VCI, CSIR, IRI, निरिक्षण मशीनरी की कमी, व्यवस्था नीत भ्रष्टाचार, के चलते आज निजी क्षेत्र संचालित शिक्षा चर्चा, चिंता और चिंतन का विषय बन गया है। उच्च शिक्षा के निजीकरण का सबसे ज्यादा खामियाजा उद्योग जगत, आधारभूत ढांचा निर्माण व्यवस्था, कृषि, बागवानी, खनन, विज्ञान, चिकित्सा, अनुसन्धान जैसे क्षेत्रों को भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि उच्च शिक्षा के निजीकरण के कुप्रभावों, अव्यवस्था और यह सभी क्षेत्र, गुणवत्तापूरक मानव संसाधनों से वंचित हो गए हैं। आज किसी भी निजी संस्थान में जो प्रशासनिक और प्रबंधन व्यवस्था बनने गयी है वो लगभग पूर्णतय: परिवारवाद यानी फैमिली फर्स्ट ओरिएंटेड बिज़नेस बन कर रह गया है। पिता-दादा चेयरमैन (वेतन 2से 5 लाख सुविधा अलग)- बेटा-पोता डायरेक्टर (वेतन 1 से 2 लाख प्रतिमाह, सुविधाएं अलग)-1 भाई/बहन रजिस्ट्रार (वेतन 75 से 90 हजार), दूसरा :कंट्रोलर एग्जाम (वेतन 75-85 हजार) तीसरा डारेक्टर स्टूडेंट वेलफेयर (वेतन 70 हजार) । प्रथम पक्ति के रिश्तेदार संस्थान के होस्टल्स, कैन्टीन, ट्रांसपोर्ट प्रबन्धन में, सभी को मोटे) वेतन ।

संस्थान के नाम पर भवन शहर से 3-10 किमी दूर बियावान में कौड़ियों के भाव खरीदी जमीन पर जहां से आने जाने के लिए संस्थान की बस किराये मात्र 3-4 हज़ार (उसे अकसर प्रवेश के समय ही वसूल लिया जाता है।)

होस्टल अकसर 3-4 छात्रों वाले डोरमटस, 75 से 1.20-लाख प्रति छात्रा वसूली, खाने के नाम मेस्स में बना भोजन अकसर जानवर भी न खा पाएं ।

न छात्रों से यूनिफार्म, बैग, लाइब्रेरी, प्रैक्टिकल, एग्जामिनेशन (यदि सम्बद्ध विश्वविद्यालय की फीस 4 हज़ार हो तो निजि संस्थान 14 हजार वसूलते हैं, इंटरनल एग्जाम फी 1500 से 3 हजार) मैगज़ीन, मेडिकल फी के नाम पर उगाहे जाते हैं। इन सब के बावजूद बच्चों और अभिभावकों के हाथ जो डिग्री 4 साल बाद हाथ लगती है तब उन्हें वास्तविकता का पता चलता है कि वो ठगे गए हैं। यह डिग्री मात्र कागज़ का एक टुकड़ा है जो उन को 10 हज़ार मासिक की नौकरी भी दिलवा नही पाएगी।

निजी शिक्षण संस्थानों के लिए पहले वर्ष दाखिल होने वाला छात्र सोने का अंडा देने वाली वो मुर्गी है जिसकी महता फर्स्ट इयर तक ही है। उसके बाद अंग्रेजी की वजह कहावत : एडमिशन टू प्राइवेट इस्टिट्यूशन इस लाइक फॉर्स्ट प्रेग्नेंसी 9 मंथ लैटर यु कैम। इन शिक्षण संस्थानों में जहां फीस वसूली तो यु जी सी जैसे मानक निर्धारण संस्थानों से निर्धारित आधार पर लाखों में वसूली जाती है, सुविधाएं न या नही के बराबर, लैबोरेट्रीज के नाम पर 4-6 टूटे फूटे उपकरण, जंग लगी कबाड़ से खरीदी एक दो मशीने, बीकर फ्लास्क और बस। अध्यापन हेतु नियुक्ति सभी प्राध्यापक शोषण और दादागिरी का शिकार, नाम को यूजीसी मानकों का वेतन वास्तव में 15 हज़ार में Assistant Professor, 20 हज़ार में Associate Professor सिर्फ कागजों में या 30 हजार में सभी 9-5 रोज़ बिना किसी छुट्टी, बधुआ मजदूर। हाल ही में राजस्थान और मध्यप्रदेश के दो निजी विश्वविद्यालयों में निरीक्षण के दौरान जिस धोखाधड़ी का भंडा फोड़ हुआ वह चिन्ता जनक है, दोनों जगह किसी विज्ञापन के माध्यम से मंगाए आवेदन पत्रों के संलग्नक दस्तावेजों से वास्तविक प्रोफेसर के फोटो को अपने यह कार्यरत्त गैरशिक्षक कर्मचारी के फोटो से बदल कर उसको ही प्रोफेसर बता दिया गया ।

निजी उच्च शिक्षा संस्थानों में जो विश्वविद्यालय स्वयं नहीं हैं परीक्षा, एक बड़ा घोटाला है जहां सेटिंग से सब चलता है।

हाल ही में उच्च स्तरीय जांच में निजी संस्थानों में अनुसचित जाती, जनजाति और पूर्वोत्तर के छात्रों के छात्रवृति घोटाले का भी पर्दा फाश हुआ है । बिना दाखिला लिए, या एक ही छात्र के फॉर्म पर 3 संस्थान सरकार से वसुली कर रहे पाए गए हैं। केवल कुछ वर्षों में उपजे हजारों उच्च शिक्षण संस्थान बंद पड़े हैं। मात्र 2017-18 में केरल, कर्नाटक आंध्र में 15 से 17 हज़ार संस्थानों की ICTE को बंद करने की अर्जी डाल दी है। केवल यही नही निजी संस्थानों में अकसर बिना निर्धारित शैक्षिक योग्यता, के प्रवेश और डिग्री दोनों मिल जाते हैं। निजी संस्थान शिक्षा बांटने की जगह डिग्री बांटने की दुकान बन गए हैं यह दुर्भाग्य पूर्ण है पर उससे भी दुर्भाग्य पूर्ण है कि जिन की जिममेदारी निरीक्षण, नियमन, और लूटखसोट रोकने की है वही इस में भागीदार हो गए हैं ।

देश को 21वीं सदी में स्मार्ट इंडिया स्टैंड अप इंडिया को अमली जामा पहनाने हेतु देश के सरकारी, और केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, नामचीन, संस्थानों में दोहरी पाली, निजी संस्थानो के फर्जीवाड़े पर नकेल हेतु प्रभावशाली, नियामक आयोग जैसे संस्थानो को शक्तिशाली बनना होगा। उद्योग और विज्ञान तकनीक के मांग आधारित विषयों मे शिक्षण अनुसंधान योजना के कार्यान्वयन के साथ साथ आर्य समाज, दयानंद आंगलोवेदिक, विद्या भारती, गोखले स्मारक समिति, एम एस रमय्या, दक्षिण पश्चिम भारत के गोखले समिति, भारती विद्या पीठ, उत्तर भारत के सिख एजुकेशन सोसायटी, सरीखी निजी निश्कलंक शिखा प्रदान करने वाली संस्थाओं भले ही वोह किसी भी पंथ सम्प्रदाय से सबन्ध रखती हैं पर भारत के स्वतंत्रता पूर्व समय से शिक्षा प्रदान कर रही हैं को पोषीत किया जाना जरूरी है ताकि देश में उच्च और व्यवसायिक शिक्षा की गुणवत्ता बनी रहे ।

न्याय प्रदान करना न्यायपालिका के समक्ष बहुत बड़ी चुनौती-मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्य कांत

शिमला/शैल। न्यायमूर्ति सूर्य कान्त ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ ग्रहण की। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने राज भवन में आयोजित एक साधारण लेकिन गरिमापूर्ण समारोह में

उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर भी इस अवसर पर मौजूद रहे।

समारोह का आयोजन दरबार हाल में किया गया जहां मुख्य सचिव बी.के. अग्रवाल ने भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी नियुक्ति अधिपत्र पढ़ा।

अध्यक्ष हि.प्र. विधानसभा डॉ. राजीव बिन्दल, प्रदेश मंत्रिमण्डल के सदस्य, हरियाणा के शिक्षा मंत्री राम विलास शर्मा, नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, जस्टिस सूर्य कान्त की धर्मपत्नी, हि.प्र. उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सेवानिवृत न्यायाधीश तथा राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी इस अवसर पर उपस्थित रहे।

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पदभार सम्भालने के उपरान्त न्यायमूर्ति सूर्य कांत के स्वागत में हि.प्र. उच्च न्यायालय में फुल कोर्ट स्वागत सम्बोधन का आयोजन किया गया।

रजिस्ट्रार जनरल राजीव भारद्वाज ने कार्यवाही का संचालन किया। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल, न्यायमूर्ति डी.सी. चौधरी, न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान, न्यायमूर्ति सुरेश्वर ठाकुर, न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर, न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल, न्यायमूर्ति संदीप शर्मा तथा न्यायमूर्ति चन्द्र भूषण बारोवालिया इस अवसर पर उपस्थित थे।

इस अवसर पर सम्बोधित करते हुए न्यायमूर्ति सूर्य कांत ने कहा कि आज के परिदृश्य में त्वरित एवं प्रभावी न्याय प्रदान करना न्यायपालिका के समक्ष बहुत बड़ी चुनौती है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक मामले को निपटाने के लिए तय समय सीमा होनी चाहिए और सभी हितधारकों को इस दिशा में कार्य करना चाहिए ताकि लक्ष्य तक पहुंचा जा सके। गरीब तथा जरूरतमंदों को न्याय प्रदान करने पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि बार तथा बैंच का अस्तित्व तभी सार्थक होगा जब वे गरीब व्यक्ति के आंसू पोंछने के योग्य हों। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश एक छोटा राज्य होने के बावजूद हमें कड़ी मेहनत कर न्याय की गुणवत्ता पर ध्यान देना चाहिए। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा उन्हें अपनी टीम के 'द्रविड़' की संज्ञा देने पर न्यायमूर्ति सूर्य कांत ने कहा कि वह प्रतिदिन एक ओपनर के रूप में आकर शाम तक अभेद्य और नॉट आऊट रहना पसंद करेंगे। उन्होंने सहयोगी न्यायाधीशों तथा बार द्वारा भव्य स्वागत के लिए उनका आभार व्यक्त किया।

न्यायमूर्ति संजय करोल ने न्यायमूर्ति सूर्य कान्त का मुख्य न्यायाधीश का कार्यभार सम्भालने पर स्वागत किया। महाधिवक्ता अशोक शर्मा, हि.प्र. बार परिषद के अध्यक्ष रमाकान्त शर्मा, हि. प्र. उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव जीवन तथा भारत के अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल राजेश शर्मा ने भी इस अवसर पर अपने विचार रखे और न्यायमूर्ति सूर्य कान्त का हार्दिक अभिनन्दन किया।

महात्मा गांधी सदियों तक प्रेरणा के स्त्रोत रहेंगे:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। महात्मा गांधी प्रत्येक के लिए प्रेरणा के स्त्रोत हैं और सदियों तक रहेंगे। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने यह बात महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के फील्ड आउटरीच ब्यूरो द्वारा आयोजित 'विकास के रंग-बापू के संग' मल्टी- मीडिया प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए कही।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सुनिश्चित किया है कि गांधी जी की 150वी जयंती देश के सभी राज्यों में उत्साहपूर्वक मनाई जाए। उन्होने बापू पर इस प्रकार की प्रदर्शनी आयोजित करने के लिए मंत्रालय के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की प्रदर्शनियों का आयोजन राज्य के अन्य भागों में भी किया जाना चाहिए ताकि लोगों को महात्मा गांधी के जीवन और शिक्षाओं के बारे में शिक्षित किया जा सके।

जय राम ठाकुर ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी की भूमिका बेजोड़ और अद्वितीय थी। केवल यही नही, गांधी जी ने विश्व को शिक्षा दी कि किस प्रकार प्रभावी ढंग से सादगी और सच्चाई के मार्ग पर चला जा सकता है। उन्होने कहा कि स्वच्छता उनके दिल का करीबी मुद्दा था। उन्होने कहा कि स्वच्छ भारत गांधी जी का सपना था, जिसे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाया ताकि हमारा राष्ट्र हरा-भरा, स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बन सके।

उन्होने कहा कि प्रधानमंत्री के प्रयासों के कारण ही स्वच्छ भारत मिशन एक जन- आन्दोलन के रूप में उभरा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सिक्मि के बाद देश का दूसरा बाह्य शौचमुक्त राज्य बनकर उभरा है। उन्होने कहा कि यह राज्य सरकार तथा प्रदेश के लोगों के सामुहिक प्रयासों के कारण ही सम्भव हो पाया है। उन्होने कहा कि युवा पीढ़ी में बढ़ रही नशाखोरी की लत देश के लिए चिन्ता की बात है और राज्य भी इससे भी अछूता नही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार, विशेषकर युवाओं में नशाखोरी के विरूद्ध शीघ्र ही राज्यव्यापी अभियान चलाएगी।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की अतिरिक्त महानिदेशक देव प्रीत सिंह ने कहा कि महात्मा गांधी का शिमला से विशेष लगाव था और उन्होंने अनेक बार शिमला का दौरा किया। उन्होंने कहा कि मल्टी-मीडिया प्रदर्शनी गांधी जी से जुड़े विभिन्न पहलूओं पर प्रकाश डालने के उद्देश्य से लगाई गई है।

वन निगम की वित्तीय स्थिति सुधरी: गोविंद सिंह ठाकुर

शिमला/शैल। वन, परिवहन, युवा सेवाएं एवं खेल मन्त्री गोविन्द सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में मुख्य मंत्री जय राम ठाकुर के नेतृत्व में नई सरकार बनने के बाद वन निगम को वित्तीय घाटे से उबारने के लिए हर संभव कदम उठाए हैं, जिसके परिणामस्वरूप आशातीत परिणाम सामने आने शुरू हो गए हैं।

वन मंत्री ने कहा कि प्रदेश की पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान स्पष्ट विपणन रणनीति न होने व दूरदृष्टि की कमी के कारण, निर्णय लेने में देरी से खैर की लकड़ी, बिरोजा एवं ईमारती लकड़ी समय से नहीं बिक पा रही थी तथा उनकी गुणवत्ता में लगातार कमी आ रही थी। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने प्रदेश की बागडोर संभालते ही वन निगम को घाटे से उबारने के लिए गम्भीरता से प्रयास आरम्भ कर दिये हैं और प्रदेश सरकार ने वन निगम के उत्पादों को बेचने के लिए एक स्पष्ट रणनीति बनाई। इस रणनीति के तहत उत्पादों की वर्तमान मांग एवं पूर्ति तथा बाजारी भाव को मध्यनजर रखते हुए वन निगम के उत्पादों को विक्रय करने के लिए प्रबन्धन को आवश्यक दिशा- निर्देश जारी किए गए, जिसके चलते प्रबन्धन ने पुराने माल के लिए निर्धारित दरों पर पुनर्विचार कर उनका बाजार के हिसाब से युक्तिकरण किया। इसके लिये प्रबन्धन द्वारा ई-नीलामी, खुली नीलामी तथा निविदाएं आंमत्रित करके माल को बचने के भरसक प्रयत्न किये गए। सरकार के इन्हीं प्रयासों के फलस्वरूप वन निगम ने गत जनवरी से सितम्बर, 2018 तक 1935.50 घन मीटर खैर की पुरानी लकड़ी बेचने में सफलता प्राप्त की जिससे वन निगम को 969 लाख रूपये की प्राप्ति हुई है। इसी तरह 4768.55 घन मीटर पुरानी लकड़ी जोकि विक्रय डिपुओं में पिछले वर्षों से बिना बिके पड़ी हुई थी, इसे 944 लाख रुपये में बेचने में सफलता प्राप्त की है। साथ ही बाजार के रूख को मध्यनजर रखते हुए बिरोजा तथा तारपीन के तेल के विक्रय दरों का युक्तिकरण कर गत जनवरी से सितम्बर, 2018 तक 2000 लाख रुपये का बिरोजा एवं तारपीन का तेल बेचने में कामयावी हासिल की गई है। सरकार द्वारा उठाए गए इन कदमों की वजह से जनवरी, 2018 से सितम्बर, 2018 तक 1924/- लाख रुपये की रॉयल्टी अदा की जा चुकी है, जबकि इसी अवधि के दौरान वर्ष 2016 व 2017 में क्रमश: 353/- लाख रुपये तथा 503/- लाख रुपये रॉयल्टी का भुगतान किया गया था। इसके अलावा 1851 लाख रुपये का जीएसटी सितम्बर, 2018 तक अदा किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017-18 के तुलना-पत्र में सालाना घाटा घट कर 1600/- लाख रुपये रह गया, जबकि वर्ष 2016-17 में यह घाटा 3443/- लाख रुपये था।

गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि वर्तमान सरकार द्वारा वन निगम की दशा सुधाने के लिए उठाए गए कदमों के परिणाम उत्साह-जनक रहे हैं, इससे वन निगम की वित्तीय स्थिति में आशातीत सुधार हुआ है।

न्यूनतम बस किराया हुआ पांच रुपये

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने न्यूनतम बस किराया छ: रुपये से पांच रुपये करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री कुल्लू के देव सदन में आयोजित मण्डी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक 'अभ्यास वर्ग' के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे।

जय राम ठाकुर ने कहा कि पिछली राज्य सरकार ने बागडोर सम्भालने के तुरन्त बाद बस किराए में 30 फीसदी की वृद्धि की थी, लेकिन वर्तमान राज्य सरकार ने केवल 20.69 प्रतिशत ही किराया बढ़ाया है ताकि लोगों पर अनावश्यक बोझ न पड़े। उन्होंने कहा कि अब यात्रियों को सुविधा प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने न्यूनतम किराए में एक रुपये की कमी कर इसे छ: रुपये से पांच रुपये कर दिया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने लोगों को लाभान्वित करने के लिए हाल ही में डीजल तथा पेट्रोल के मूल्यों में 2.50 रुपये प्रति लीटर की कमी की है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने भी डीजल तथा पेट्रोल के मूल्यों में 2.50 रुपये की कमी की है। उन्होंने कहा कि इससे राज्य के उपभोक्ताओं को आवश्यक राहत मिली है, क्योंकि राज्य में अब डीजल और पेट्रोल पांच रुपये प्रति लीटर सस्ते हो गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के ये दोनों फैसले प्रदेश के लोगों को सुविधा प्रदान करने के दृष्टिगत लिए गए हैं।

हिमाचल में सौर तथा जल विद्युत क्षेत्रों में निवेश के लिए निवेशकों का स्वागत

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने ग्रेटर नोएडा में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा आयोजित द्वितीय वैश्विक पुर्ननिवेश नवीकरणीय ऊर्जा निवेशक मीट एवं प्रदर्शनी में भाग लिया।

मुख्यमंत्री के पूर्णकालिक अधिवेशन में बोलते हुए जय राम ठाकुर ने निवेशकों को हिमाचल प्रदेश में जल विद्युत और सौर ऊर्जा क्षेत्रों में निवेश करने का स्वागत किया, क्योंकि राज्य उद्यमी अनुकूल है और ऊर्जा क्षेत्र के विकास में भागीदार बनने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए अनेक सुविधाएं प्रदान कर रहा है। उन्होने कहा कि राज्य में जल विद्युत की अपार क्षमता है और सत्ता में आने के तुरन्त बाद राज्य सरकार ने जल विद्युत क्षेत्र को पर्यटन में शामिल करने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि राज्य के जल विद्युत जलाश्यों को जल विद्युत पर्यटन के लिए विकसित किया जा रहा है।

राज्य सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले प्रमुख उद्यमी अनुकूल उपायों पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि परियोजना आवंटित करते समय अग्रिम प्रीमियम की दर को 20 लाख रुपये से घटाकर महज एक लाख रुपये प्रति मेगावाट किया गया है और जल विद्युत परियोजनाओं के लिए भूमि पट्टे की दर एक रुपया प्रति वर्ग मीटर से भी कम है। उन्होंने कहा कि पहले से ही बिजली पैदा कर रही परियोजनाओं के अलावा आवंटित परियेजनाओं से राज्य सरकार की प्रारम्भिक 12 वर्षों के लिए रॉयल्टी को स्थगित कर दिया गया है और यह अगले 28 वर्षों के दौरान प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने कहा कि भविष्य में आवंटित परियोजनाओं के मामले में अनुबन्ध अवधि के दौरान 12 प्रतिशत नि:शुल्क बिजली समान रूप से एकत्र की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने बिजली बेचने के सम्बन्ध में बिजली उत्पादकों की मुख्य समस्या का भी समाधान कर लिया है। उन्होंने कहा कि हि.प्र. राज्य विद्युत बोर्ड 25 मेगावाट तक की सभी जल विद्युत परियोजनाओं से एक निश्चित दर पर बिजली खरीदेगा। उन्होने कहा कि बिजली की दरें जिन्हें अनुबन्ध के क्रियान्वयन की तिथि से निर्धारित किया जाता था, को अब वाणिज्यिक संचालन की तिथि से तय किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि राज्य में कुल 27000 मेगावाट जल विद्युत के दोहन की क्षमता है, जो समूचे देश का एक-चौथाई है, जिसमें से 10547 मेगावाट का 151 परियोजनाओं के माध्यम से दोहन किया जा चुका है। इसके अलावा, 2395 मेगावाट क्षमता की 63 परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं, 8000 मेगावाट क्षमता की 770 परियोजनाओं का आवंटन किया जा चुका है, जबकि 2100 मेगावाट की बड़ी परियोजनाओं का शीघ्र आवंटन किया जाएगा।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

सवालो में विजिलैन्स की नीयत और नीति

शिमला/शैल। प्रदेश विजिलैन्स ने 3.9.14 को संजौली निवासी एक शान्ता लाल चोपड़ा के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 13(1) (d) r/w 13(2) और आई पी सी की धारा 420/336/120-B के तहत एक एफ आई आर विजिलैन्स थाना शिमला में दर्ज की थी। इस एफ आई आर की संस्तुति थाना को एस पी विजिलैन्स के कार्यालय द्वारा प्रारम्भिक जांच करने के दौरान 270 पेज के दस्तावेज कब्जे में लेने के बाद 2.9.14 को की गयी थी। एस पी विजिलैन्स ने यह जांच अपनी ही सोर्स रिपोर्ट के आधार पर करके इस संद्धर्भ में एफ आई दर्ज करने के निर्देश दिये थे। जिन पर यह एफ आइ आर दर्ज भी हो गयी और नियमानुसार इसकी एक प्रति सूचनार्थ संबधित कोर्ट को भी भेज दी थी। सूत्रों के मुताबिक कोर्ट ने इस पर कुछ प्रश्न चिन्ह लगाकर इसे वापिस विजिलैन्स को भेज दिया था और उसके बाद शायद अब तक इसकी सूचना अदालत में नही पंहुची और न ही इस मामले में कोई जांच अब तक आगे बढ़ी। स्वाभिक है कि जब विजिलैन्स स्वंय अपनी ही सोर्स रिपोर्ट के आधार पर कोई मामला दर्ज करती है तो यह मामला उसकी नजर में एक गम्भीर मामला रहा होगा। लेकिन जब चार सालों में उस पर कोई जांच ही न हो तो यह सवाल उठना भी स्वभाविक है कि यह मामला दर्ज करके विजिलैन्स ने अपना ही बस्ता भारी क्यों कर लिया?

इस सवाल की पड़ताल के लिए इसमें दर्ज हुई एफ आई आर के आरोपों पर नज़र डालना आवश्यक है। इसमें चोपड़ा के खिलाफ पांच आरोप है। पहला है कि उसने संजौली में एक सात मे जिला भवन का निमार्ण कर लिया है जबकि उसका नक्शा तीन मंजिलों का ही स्वीकृत था। इस भवन का रिर्वाइजड़ प्लान नगर से पास करवाने के लिये चोपड़ा अदालत में भी गये और अन्ततः 91852 रूपये जुर्माने के साथ इसे स्वीकृत भी कर लिया गया। यह भी एफ आई आर में ही दर्ज है। दूसरा आरोप है कि चोपड़ा ने 1986 में माल रोड़ शिमला पर एक रघुनाथ से पुराना भवन खरीदा जिसका उस समय तीन मंजिल तक का नक्शा पास था। लकिन चोपड़ा ने इसमें भी स्वीकृति से अधिक निर्माण कर लिया। इस निर्माण को नगर निगम के अधिकारियों के साथ मिलिभगत करके नियमित करवाने का आरोप है। तीसरा आरोप है कि चोपड़ा बिना किसी पंजीकरण के बिल्डर का काम कर रहा है। नियमानुसार बिल्डर की परिभाषा में वह व्यक्ति आता है जो बीस या इससे अधिक फ्लैट/प्लाट एक वर्ष में निर्माण करके बेचे। चोंपड़ा ने कहां 20 फ्लैट बनाये और बेचे इसका कोई विविरण एफ आई आर में नही है। चौथा आरोप है कि चोपड़ा ने कुफ्टाधार में फ्लैट बनाये और बेच दिये। इसमें ज्यादा कीमत पर बेचने और उसे कम में दिखाने का आरोप है। पांचवा आरोप है कि चोपड़ा ने अपने आर्किटैक्ट प्लानर डी आर पवार के जाली दस्तख्त करके कुफ्टाधार का रिवाईजड़ प्लान 2009 में सौंपा था। डी आर पवार की मौत 2011 में हो चुकी है और यह एफ आई आर 2014 में हो रही है।

इस एफ आई आर को देखने से यह सामने आता है कि जो भी प्रापर्टी चोपड़ा ने खरीदी और उसमें निर्माण किया उसमें मूल स्वीकृत प्लान से अधिक का निर्माण कर लिया गया बाद में अधिकारियों से मिल मिलाकर उसे नियमित करवा लेने का आरोप है। यह आरोप कितने सही है यह तो जांच से पता चलेगा। लेकिन जब एफ आई आर में ही यह आ जाता है कि 91852 रूपये का जुर्माना देकर नियमित किया गया है तो उससे सारे आरोपों की विश्वसनीयता पर स्वंय ही प्रश्न चिन्ह लग जाता है। क्योंकि प्रदेश में अवैध निमार्णो को नियमित करने के लिए नौ बार रिटैन्शन पॉलिसिंया लायी गयी है।

सत्रह बार आन्तिरम प्लान में संशोधन हुए हैं इस मामले में भी जब एक लाख के करीब जुर्माने का तथ्य रिकार्ड पर है। तो उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि यह सब रिटैन्शन पॉलिसी के तहत ही हुआ होगा। रिटैन्शन पॉलिसीयां तो अवैधताओं को नियमित करने के लिये ही लायी गयी है। इस एफआईआर को लेकर जब चोपड़ा से उसका पक्ष पुछा गया तो उसने स्पष्ट कहा कि उसने कोई भी काम नियमो के विरूद्ध नही किया है। सारे प्लान वाकायदा स्वीकृत है और उसपर लगाये जा रहे सारे आरोप एकदम वेबुनियाद है।

यह मामला विजिलैन्स ने अपनी सोर्स रिपोर्ट के आधार पर दर्ज किया है। इससे अवैध निर्माणों को लेकर विजिलैन्स की चिन्ता और यह सक्रियता स्वागत योग्य हैं यहां विजिलैन्स से यह अपेक्षा है कि अभी अवैध निर्माणों को लेकर एनजीटी ने 16.11.17 को जो फैसला दिया है कि उसे आधार बनाकर इस संद्धर्भ में कारवाई करे। एनजीटी के फैसले में यह आया है कि शिमला में ही आठ हज़ार से अधिक ऐसे निर्माण हुए है जिसका कभी कोई नक्शा - पर्चा बना ही नही है और वह सिर से एकदमे अवैध है। नगर निगम क्षेत्र में सात मंजिलों से लेकर ग्यारह मंजिलों तक बने भवनों की सुची तो विधानसभा के पटल तक आ चुकी है जिनके खिलाफ कोई कारवाई नही हुई है। आज भी नगर निगम के हर वार्ड में ऐसे निर्माण चल रहे मिल जायेगे जिनके खिलाफ एनजीटी के फैसले के बाद कारवाई करनी ही पड़ेगी। ऐसे में जब विजिलैन्स चोपड़ा के खिलाफ अपनी सोर्से रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर सकती है तो जो रिकॉर्ड अब अदालती फैसलों के माध्यम से सामने आया है और उसके खिलाफ कारवाई करने के निर्देश हैं तो उन निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिये कोई कदम क्यो नही उठाये जा रहे हैं। यही नहीं विजिलैन्स के पास सरकार द्वारा 31 अक्तूबर 1997 को अधिसूचित रिवार्ड स्कीम के तहत आयी दर्जनों शिकायतें आज भी वर्षो से लंबित चली आ रही है। लेकिन उन पर भी कारवाई का साहस नही जुटा पा रही है। क्या विजिलैन्स अपने पुराने रिकॉर्ड को खंगाल कर उन शिकायतों पर कारवाई सुनिश्चित करेगी। अब तो सरकार ने विजिलैन्स के लिये एक पुलिस के ही अधिकारी को सचिवालय में प्रधान सचिव विजिलैन्स की जिम्मेदारी दे रखी है। ऐसे में यह उम्मीद की जा रही है कि विजिलैन्से एनजीटी के फैसलों पर अमल सुनिश्चित करने के लिये कारगर कदम उठायेगी। अन्यथा विजिलैन्स पर ही यह आरोप लगेगा कि कुछ निहित स्वार्थो के लिये ही लोगों के खिलाफ मामले दर्ज करके उन्हे वर्षो तक लटकाये रखा जाता है। विजिलैन्स की सुविधा के लिये एनजीटी के फैसले का एक निर्देश सामने रखा जा रहा है। Wherever unauthorised structures, for which no plans were submitted for approval or NOC for development and such areas falls beyond the Core and Green/ Forest area the same shall not be regularised or compounded. However, where plans have been submitted and the construction work with deviation has been completed prior to this judgement and the authorities consider it appropriate to regularise such structure beyond the sanctioned plan, in that event the same shall not be compounded or regularised without paymentof environmental compensation at the rate of Rs. 5,000/- per sq. ft. in case of exclusive selfoccupied residential construction and Rs. 10,000/- per sq. ft. in commercial or residential-cum-commercial buildings. The amount so received should be utilised for sustainable development and for providing of facilities in the city of Shimla, as directed under this judgement.

No construction of any kind, i.e. residential, commercial, institutional or otherwise would be permitted within three meters from the end of the road/national highways in the entire State of HP, particularly, in Shimla Planning Area. We direct that all the concerned authorities shall duly enforce the valley view regulation and direct the same.

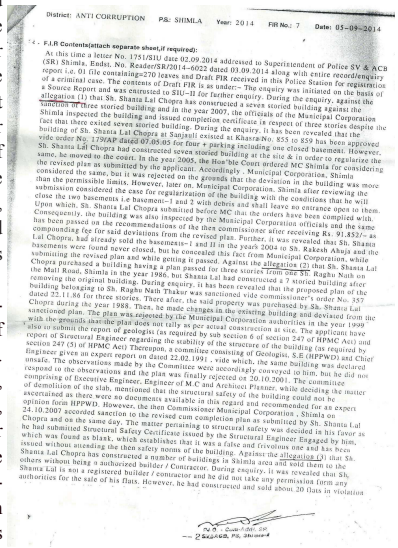

District: ANTI CORRUPTION PS: SHIMLA Year: 2014 FIR No.: 7 Date: 05-09-2014

1. F.I.R Contents(attach separate sheet,if required):

At this time a letter No. 175/SIU dated 02.09.2014 addressed to Superintendent of Police SV & ACB (SR) Shimla, Endst. No. Reader/SR/2014-6022 dated 03.09.2014 along with entire record/enquiry report i.e. 01 file containing=270 leaves and Draft FIR received in this Police Station for registration of a criminal case. The contents of Draft FIR is as under:- The enquiry was initiated on the basis of allegation (1) that Sh. Shanta Lal Chopra has constructed a seven storied building against the sanction of three storied building and in the year 2007, the officials of the Municipal Corporation Shimla inspected the building and issued completion certificate in respect of three stories despite the fact that three exited seven storied building. During the enquiry, it has been revealed that the vide order No. 179/AP dated 07.05.05 for four + parking including one closed basement. However, Sh. Shanta Lal Chopra had constructed seven storied building at the site & in order to regularize the same, he moved to the court. In the year 2005, the Hon'ble Court ordered MC Shimla for considering the revised plan as submitted by the applicant. Accordingly, Municipal Corporation, Shimla considered the same, but it was rejected on the grounds that the deviation in the building was more than the permissible limits. However, later on, Municipal Corporation, Shimla after reviewing the submission considered the case for regularization of the building with the conditions that he will close the two basements i.e basement-1 and 2 with debris and shall leave no entrance open in them. Upon which, Sh. Shanta Lal Chopra submitted before MC that the orders have been complied with. Consequently, the building was also inspected by the Municipal Corporation officials and the same has been passed on the recommendations of the then commissioner after receiving Rs. 91,852/- as compounding fee for said deviations from the revised plan. Further, it was revealed that Sh. Shanta Lal Chopra, had already sold the basements-1 and II in the years 2004 to Sh. Rakesh Ahuja and the basements were found never closed, but he concealed this fact from Municipal Corporation, while submitting the revised plan and while getting it passed. Against the allegation (2) that Sh. Shanta Lal Chopra purchased a building having a plan passed for three stories from one Sh. Raghu Nath on the Mall Road, Shimla in the year 1986, but Shanta Lal had constructed a 7 storied building after removing the original building. During enquiry, it has been revealed that the proposed plan of the building belonging to Sh. Raghu Nath Thakur was sanctioned vide commissioner's order No. 357 dated 22.11.86 for three stories. There after, the said property was purchased by Sh. Shanta Lal Chopra during the year 1988. Then, he made changes in the existing building and deviated from the sanctioned plan. The plan was rejected by the Municipal Corporation authorities in the year 1999 with the grounds that the plan does not tally as per actual construction at site. The applicant have also to submit the report of geologists (as required by sub section 6 of section 247 of HPMC Act) and report of Structural Engineer regarding the stability of the structure of the building (as required by section 247 (5) of HPMC Act) Thereupon, a committee consisting of Geologist, S.E (HPPWD) and Chief Engineer given on expert report on dated 22.02.1991 ; vide which, the same building was declared unsafe. The observations made by the Committee were accordingly conveyed to him, but he did not respond to the observations and the plan was finally rejected on 20.10.2001. The committee comprising of Executive Engineer, Engineer of M.C and Architect Planner, while deciding the matter of demolition of the slab, mentioned that the structural safety of the building could not be ascertained as there were no documents available in this regard and recommended for an expert opinion form HPPWD. However, the then Commissioner Municipal Corporation , Shimla on 24.10.2007 accorded sanction to the revised cum completion plan as submitted by Sh. Shanta Lal Chopra and on the same day. The matter pertaining to structural safety was decided in his favor as he had submitted Structural Safety Certificate issued by the Structural Engineer Engaged by him, which was found as blank, which establishes that it was a false and fireworks one and has been issued without attending the then safety norms of the building. Against the allegation (3) that Sh. Shanta Lal Chopra has constructed a number of buildings in Shimla area and sold them to the others without being a authorized builder / Contractor. During enquiry, It was revealed that Sh. Shanta Lal is not a registered builder / contractor and he did not take any permission form any authorities for the sale of his flats. However, he had constructed and sold about 20 flats in violation

एसजेवीएनएल बनाम राजेन्द्र सिंह मामले में

..... पृष्ठ 1 का शेष

इस फैसले के परिदृश्य में यथास्थित अन्य मामलों को भी देखने की नौवत आ सकती है। क्योंकि और भी कई अन्य बड़े जागीरदारों की ज़मीने विकास कार्यो के लिये अधिगृहित हुई हैं और उन्हे मुआवजे भी मिलें है। जबकि जनवरी 1955 और फिर 1972 के सीलिंग एक्ट के बाद यह लोग इसके कतई हकदार नही रहे थे। लेकिन अधिकांश में ऐसे लोगों की संपत्तियों का अधिग्रहण उस समय से शुरू हुआ जब से वीरभद्र सिंह ने प्रदेश की सत्ता संभाली और ऐसे मामलों के प्रति एकदम आंखे बन्द कर ली तथा प्रशासन ने भी नियमों / कानूनो की अनुपालना करने का जोखिम नही उठाया। अब आया सर्वोच्च न्यायालय का फैसला इसी नज़र अंदाजगी का परिणाम हैं राजेन्द्र सिंह की ज़मीने एनजे पीसी ,पीडब्लूडी और एचपीएसईवी आदि के लिये अधिगृहित हुई हैं और करीब छः करोड़ मुआवजा मिला है जिसे अब 12% ब्याज सहित लौटाना होगा।

यह थी रिवार्ड स्कीम के तहत

..... पृष्ठ 1 का शेष

(ix) But when the ceiling Act of 1972 came into effect the land so vested earlier in 1955 was again shown as that belonging to Raj Kumar although the affidavit of the state Government had statesd that the land had vested in state Government. The judgment of Hon'ble supreme court also states that the mutations of vesting of land in the Government had been done in 1962. Thus the Revenue record was forged to change the Revenue entries so that to delay the matter the name land could be brought under litigation under the ceiling Act.

(x) However, due to the influence of the brother of Raj Kumar Rajinder Singh i.e. Sh. Vibhadra Singh who is a public servant since 1962 being M.P., Union Minister & Chief Minister the land so vested in 1955 still is in the name of Raj Kumar through forgery of Revenue record. Only 65 bighas of land remained with Raj Kumar in Jhakri however his more than 600 bighas of land has been acquired by N.J.P.C, P.W.D, H.P.S.E.B and awarded compensation of more than six crores. Hence Raj Kumar has taken compensation for Government land.

(xi) Strangely when the land of Raj Kumar was vested in the Government in 1955 how is it that more than 19000 bighas of land have been declared surplus under the ceiling Act .

(xii) In the meantime due to Revenue entries being in his name Raj Kumar Rajinder Singh could claim compensation for Govt. land .

(xiii) This Act of Sh.Virbhadra Singh, former C.M. by abusing his official position through influencing his subordinate officers into not implementing orders of high court & supreme court for his brother's gain by forgery of record has subjected N.J.P.C and state Govt. to a wrongful loss of crores of rupees and wrongful gain to Raj kumar which is punishable under section 13 of the prevenation act 1988 and sections 420, 465, 467, 471 & 120(b) of the IPC.

It is, therefore prayed that immediate criminal action be initiated against the offenders and Reward money be paid to me @ 25 % of the entire wrongful loss within a period of one month as per the Reward scheme of the Government.

Thanking You

Yours Faithfully

(Baldev Sharma)
Set No. 47, Block –(IV)
Vidhayak Sadan,
U.S. Club, SHIMLA